आयुक्त–सह–अध्यक्ष, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर की अध्यक्षता में दिनांक–12.08.2025 को अपराह्न 04.00 बजे से आयोजित क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर प्रमण्डल, मुंगेर की बैठक की कार्यवाही :–

आयुक्त–सह–अध्यक्ष, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर की अनुमति से संयुक्त आयुक्त–सह–सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर द्वारा बैठक में उपस्थित सदस्य एवं विशेष आमंत्रित पदाधिकारियों का स्वागत करते हुए बैठक की कार्यवाही प्रारंभ की गयी ।

उपस्थिति :– यथा पंजी के अनुरूप।

- सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर द्वारा जानकारी दी गयी कि दिनांक–**30.06.2025** को सम्पन्न क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार की बैठक में सर्वसम्मति से लिये गये निर्णय के आलोक में अनुवर्त्ती कार्रवाई करते हुए अनुपालन किया जा रहा है।
- सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर द्वारा बस के स्थायी परमिट एवं अन्य मामले हेतु कुल 71 आवेदन निर्णयार्थ बैठक में उपस्थापित किए गए हैं। सचिव द्वारा जानकारी दी गई कि आवेदन के साथ संलग्न संगत प्रमाण–पत्र/कागजातों की वैधता/पात्रता/उपयुक्तता की सम्पूर्ण जाँच कार्यालय द्वारा कर ली गई है। कार्यालय द्वारा तैयार कार्यावली में वाहनों की विवरणी/समय सारणी/मार्ग/दूरी/प्रतिदिन की जाने वाली ट्रिपों की संख्या आदि की विवरणी भी अंकित है। समीक्षोपरान्त सर्वसम्मति से निर्णय लिए गए जिसका विवरण अधोलिखित कंडिकाओं में वर्णित है:–

दिनांक–12.08.2025 को प्राधिकार बोर्ड की बैठक में रखे जाने वाले सवारी गाड़ी की स्थायी परमिट हेतु प्राप्त आवेदन

कार्यावली संख्या – 01

दिनांक–30.06.25 का लंबित संशोधित समय–सारणी।

क्र0 सं0	पूर्व का आवेदन क्रमांक	वाहन सं0/निबंधन की तिथि, आवेदक का नाम एवं पता	आवेदित मार्ग/दूरी एवं प्रतिदिन की जाने वाली ट्रिपों की सं0 एवं कुल दूरी	वाहन के कागजात की स्थिति	आपत्ति की स्थिति (प्राप्त/अप्राप्त)	प्राधिकार का निर्णय
1	59/12	BR09PA-9828 (05.03.2025) श्री रंजीत कुमार पिता– श्री रामनंदन सिंह पता–पहसारा, नॉवकोठी, जिला–बेगुसराय।	प्रकाशन–20.05.25 अधिसूचित मार्ग संख्या–3225 डाउन बेगुसराय से भागलपुर रे0स्टे0। भाया–बलिया, खगड़िया, मानसी, महेशखूँट, पसराहा, नारायणपुर, थाना बिहपुर, नौगछिया जीरोमाईल एवं भागलपुर जीरोमाईल। ट्रिप–02 (02 अप 02 डाउन)	टैक्स–26.05.25 फिटनेश–04.03.27 बीमा–27.02.26 प्रदूषण–04.03.26	अप्राप्त	आपत्ति अप्राप्त रहने की स्थिति में परमिट आवेदन को स्वीकृत किया जाता है।
2	60/08	BR09PA-9832 (05.03.2025) श्री अजीत कुमार पिता– श्री रामनंदन सिंह पता–पहसारा, नॉवकोठी, जिला–बेगुसराय।	प्रकाशन–20.05.25 अधिसूचित मार्ग संख्या–3225 भागलपुर रे0स्टे0 से बेगुसराय। भाया–भागलपुर डीपो, भागलपुर जीरोमाईल, नौगछिया जीरोमाईल, थाना बिहपुर, नारायणपुर, पसराहा, महेशखूँट, मानसी, खगड़िया एवं बलिया। ट्रिप–02 (02 अप 02 डाउन)	टैक्स–26.05.25 फिटनेश–04.03.27 बीमा–03.04.26 प्रदूषण–04.03.26	अप्राप्त	आपत्ति अप्राप्त रहने की स्थिति में परमिट आवेदन को स्वीकृत किया जाता है।

MEETING HELD ON 12.08.2025

3	61 / 16	BR09PA-6688 (03.09.2021) श्रीमती सुनीता देवी पति–श्री सुधीर कुमार पता–पहसारा, जिला–बेगुसराय।	प्रकाशन–20.05.25 अधिसूचित मार्ग संख्या–3225 डाउन बेगुसराय से भागलपुर रे०स्टे०। भाया–बलिया, खगड़िया, मानसी, महेशखूँट, पसराहा, नारायणपुर, थाना बिहपुर, नौगछिया जीरोमाईल एवं भागलपुर जीरोमाईल। ट्रिप–02 (02 अप 02 डाउन)	टैक्स–27.05.25 फिटनेश–12.09.25 बीमा–05.09.25 प्रदूषण–31.08.25	अप्राप्त	आपत्ति अप्राप्त रहने की स्थिति में परमिट आवेदन को स्वीकृत किया जाता है।
4	62 / 9	BR09PA-9160 (06.06.2024) श्री बिनीत कुमार पिता– श्री रामनंदन सिंह पता–पहसारा, नॉवकोठी, जिला–बेगुसराय।	प्रकाशन–20.05.25 अधिसूचित मार्ग संख्या–3225 भागलपुर रे०स्टे० से बेगुसराय। भाया–भागलपुर डीपो, भागलपुर जीरोमाईल, नौगछिया जीरोमाईल, थाना बिहपुर, नारायणपुर, पसराहा, महेशखूँट, मानसी, खगड़िया एवं बलिया। ट्रिप–02 (02 अप 02 डाउन)	टैक्स–05.06.25 फिटनेश–05.06.26 बीमा–16.05.26 प्रदूषण–05.06.25	अप्राप्त	आपत्ति अप्राप्त रहने की स्थिति में परमिट आवेदन को स्वीकृत किया जाता है।
5	63 / 26	BR27C-4001 (07.06.2013) श्री शम्भू शरण सिंह, पिता–दिनेश सिंह पता– मल्लेपुर, बरहट, जिला–जमुई।	प्रकाशन–20.05.25 अधिसूचित मार्ग संख्या–3219 डाउन चकाई से मुंगेर। भाया–सोनो, जमुई, मल्लेपुर, खड़गपुर। ट्रिप–01 (01 अप 01 डाउन)	टैक्स–06.08.25 फिटनेश–30.07.25 बीमा–24.09.25 प्रदूषण–25.07.25	➢ आपत्तिकर्त्ता श्री सुमित कुमार, वाहन सं0–**BR10Q-1073** का कहना है कि मल्लेपुर रेलवे स्टेशन से जमुई की दूरी 7 किमी0 है, जबकि आवेदनकर्त्ता समय–सारणी में 41 किमी0 दर्शित किये हैं। मल्लेपुर रेलवे स्टेशन से जमुई की दूरी आवेदनकर्त्ता 15 मिनट में तय करते हैं। जमुई से सोनो की दूरी 41 किमी0 है, जबकि आवेदनकर्त्ता समय–सारणी में 28 किमी0 दर्शित किये हैं। आवेदनकर्त्ता का समय–सारणी त्रुटिपूर्ण है। सोनो से चकाई की दूरी में आवेदनकर्त्ता शून्य दर्शित किये हैं। मल्लेपुर रेलवे स्टेशन से आवेदनकर्त्ता 08:08 में प्रस्थान करते हैं तथा आपत्तिकर्त्ता 08:13 में प्रस्थान करते हैं। मल्लेपुर स्टेशन से आधा किमी0 में रेलवे फाटक है। दोनों वाहन के समय–सारणी में 05 मिनट का अन्तराल होने से रेलवे क्रॉसिंग पर दोनों वाहन में टकराव हो रहा है। आवेदनकर्त्ता एवं आपत्तिकर्त्ता का मार्ग चकाई से मुंगेर है।	➢ आपत्तिकर्त्ता श्री सुमित कुमार, वाहन सं0–**BR10Q-1073** द्वारा समय–सारणी पर कोई आपत्ति नहीं की गई है। आवेदनकर्त्ता द्वारा चकाई से मुंगेर जाने में दो पड़ाव के बीच दूरी का सही अंकन किया गया है परन्तु वापसी में दूरी अंकन में त्रुटि है। ऐसा प्रतीत होता है कि दूरी अंकन में त्रुटि टंकण भूलवश हो गई है। गतिसीमा के संबंध में समीक्षा की गयी है, किसी भी पड़ाव पर गतिसीमा का उल्लंघन नहीं है। चूँकि समय–सारणी पर कोई आपत्ति नहीं है और गतिसीमा का भी उल्लंघन नहीं है। ऐसी स्थिति मे परमिट आवेदन को इस शर्त्त पर स्वीकृत किया जाता है कि वाहन की आयु 15 वर्ष पूर्ण होने के पूर्व आवेदनकर्त्ता परमिट का प्रतिस्थापन अन्य उच्च मॉडल के नये वाहन पर करा लेंगे। अन्यथा वाहन की आयु 15 वर्ष पूर्ण होने के उपरान्त परमिट स्वतः रद्द कर दिया जायेगा। इस आशय का शपथ पत्र समर्पित करने के उपरान्त ही परमिट निर्गत किया जायेगा।
6	64 / 21	BR06PE-4786 (22.07.2019) श्री विजय राय पिता– श्री कारी राय, पता–रजौरा, वार्ड नं0–04, मु0, जिला–बेगुसराय।	प्रकाशन–20.05.25 अधिसूचित मार्ग संख्या–3108 कचहरी रामपुर से बेगुसराय, भाया–सिहमा, बखड़ा, नारायणपीर, खंजहांपुर, बरियारपुर एवं मंझौल। ट्रिप–02 (02 अप 02 डाउन)	टैक्स–21.07.25 फिटनेश–24.07.25 बीमा–09.04.26 प्रदूषण–16.12.25	अप्राप्त	आपत्ति अप्राप्त रहने की स्थिति में परमिट आवेदन को स्वीकृत किया जाता है।

MEETING HELD ON 12-08-2025

7	65/4	BR09PA-4930 (29.02.2020) श्री अविनाश कुमार पिता– श्री राजेन्द्र यादव पता–स्कूल के पास, फतेहपुर, जिला–बेगुसराय।	प्रकाशन–20.05.25 अधिसूचित मार्ग संख्या–3045 डाउन खगडिया से आलमनगर। भाया–महेशखूँट, सोनवर्षाघाट एवं बेलदौर। ट्रिप–03 (03 अप 03 डाउन)	टैक्स–16.08.25 फिटनेश–02.05.27 बीमा–17.04.26 प्रदूषण–28.04.26	अप्राप्त	➢ इस वाहन का परिचालन स्कूल बस या पैसेन्जर बस में किये जाने संबंधी प्रतिवेदन जिला परिवहन पदाधिकारी, बेगूसराय से अप्राप्त है। जिला परिवहन पदाधिकारी, बेगूसराय को निदेश दिया जाता है कि वांछित प्रतिवेदन तीन दिनों के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। प्रतिवेदन प्राप्त होने के उपरान्त इस परमिट आवेदन पर विचार किया जायेगा।

कार्यावली संख्या – 02

(स्थायी परमिट)
आपत्ति प्राप्त एवं अप्राप्त नया आवेदन

क्र0 सं0	आवेदन क्रमांक	वाहन सं0 / निबंधन की तिथि, आवेदक का नाम एवं पता	आवेदित मार्ग / दूरी एवं प्रतिदिन की जाने वाली ट्रिपों की सं0 एवं कुल दूरी	वाहन के कागजात की स्थिति	आपत्ति की स्थिति (प्राप्त / अप्राप्त)	प्राधिकार का निर्णय
8	1	BR10P-7279 (29.12.2012) श्री संजय कुमार पिता– श्री देव नंदन प्रसाद सिंह पता–गुरगॉवन, नयागॉव, जिला–बेगुसराय।	प्रकाशन–29.07.25 अधिसूचित मार्ग संख्या–3225 भागलपुर रे0स्टे0 से बेगुसराय। भाया–भागलपुर डीपो, भागलपुर जीरोमाईल, नौगछिया जीरोमाईल, थाना बिहपुर, नारायणपुर, पसराहा, महेशखूँट, मानसी, खगड़िया एवं बलिया। ट्रिप–01 (01 अप 01 डाउन)	टैक्स–27.08.25 फिटनेश–16.05.26 बीमा–27.02.26 प्रदूषण–26.08.25	➢ प्रथम आपत्तिकर्त्ता श्रीमती बिनीता कुमारी, वाहन सं0–**BR09PA-9171** का कहना है कि आवेदनकर्त्ता द्वारा भागलपुर रेलवे स्टेशन से बेगूसराय मार्ग पर आवेदन किया गया है, जिसका परमिट के समय–सारणी एवं आवेदन के समय एवं परमिट शुल्क से संबंधित है। 1. प्राधिकार के सूचना का प्रकाशन दिनांक–24.07.2025 करीब 04 बजे अपराह्न में किया गया है। 2. आवेदन की तिथि 25.07.2025 से 28.07.2025 निर्धारित किया गया है, जबकि आवेदन रात्रि 12 बजे के बाद ही कर दिया गया है। कार्यालय का कार्य दिवस 10 बजे पूर्वाहन के बाद शुरू होता है। साथ ही साथ परमिट एवं आवेदन शुल्क सूचना प्रकाशन से पूर्व ही जमा कर दिया गया है, जो वैध नहीं है एवं गैर कानूनी है। सूचना प्रकाशन का कोई औचित्य को ही समाप्त कर देता है। 3. समय–सारणी पर आपत्ति निम्न है। आपत्तिकर्त्ता आवेदनकर्त्ता खगड़िया 12:05 12:03 महेशखूंट 12:47 12:45 प्राधिकार के निर्णय मुताबिक समय–सारणी नहीं है। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि आवेदनकर्त्ता का आवेदन निर्गत सूचना 24.07.2025 के अनुरूप आवेदन नहीं है एवं परमिट शुल्क जमा सूचना प्रकाशन के पूर्व जमा है जो विधिवत् नहीं है एवं गैर कानूनी है। उचित निर्णय लेने की कृपा की जाय। ➢ द्वितीय आपत्तिकर्त्ता श्री मनीष कुमार सिंह, वाहन सं0–**BR09PA-9827** का कहना है कि आवेदनकर्त्ता द्वारा भागलपुर रेलवे स्टेशन से बेगूसराय मार्ग पर आवेदन किया गया है, जिसका परमिट के समय–सारणी एवं आवेदन के समय	➢ प्रथम आपत्तिकर्त्ता द्वारा अपने आवेदित समय–सारणी, जो क्रम संख्या–40 पर उपस्थापित है, से आपत्ति की गई है, जबकि आवेदनकर्त्ता आवेदन करने के क्रम में आपत्तिकर्त्ता से वरीय हैं। यह आपत्ति स्वीकार योग्य नहीं है। ➢ द्वितीय आपत्तिकर्त्ता द्वारा अपने आवेदित समय–सारणी, जो क्रम संख्या–36 पर उपस्थापित है, से आपत्ति की गई है, जबकि आवेदनकर्त्ता आवेदन करने के क्रम में आपत्तिकर्त्ता से वरीय हैं। यह आपत्ति स्वीकार योग्य नहीं है। अतएव परमिट आवेदन स्वीकृत किया जाता है।

MEETING HELD ON 12-08-2025

					एवं परमिट शुल्क से संबंधित है। 1. प्राधिकार के सूचना का प्रकाशन दिनांक–24.07.2025 करीब 04 बजे अपराह्न में किया गया है। 2. आवेदन की तिथि 25.07.2025 से 28.07.2025 निर्धारित किया गया है, जबकि आवेदन रात्रि 12 बजे के बाद ही कर दिया गया है। कार्यालय का कार्य दिवस 10 बजे पूर्वाह्न के बाद शुरू होता है। साथ ही साथ परमिट एवं आवेदन शुल्क सूचना प्रकाशन से पूर्व ही जमा कर दिया गया है, जो वैध नहीं है एवं गैर कानूनी है। सूचना प्रकाशन का कोई औचित्य को ही समाप्त कर देता है। 3. समय–सारणी पर आपत्ति निम्न है। आपत्तिकर्त्ता आवेदनकर्त्ता खगड़िया 07:11 06:40–07:07 27 मिनट ठहराव तंग करने की नियत से आवेदनकर्त्ता का खगड़िया आगमन 06:40 में होता है एवं प्रस्थान 07:07 किया जाता है। गाड़ी का ठहराव 27 मिनट किया जाता है, जो जनहित में भी उचित नहीं है एवं साजिश के तहत तंग करने की नियत से 27 मिनट का ठहराव किया गया है। अतः श्रीमान् से नम्र निवेदन है कि आवेदनकर्त्ता के आवेदन पर उचित निर्णय लेने की कृपा की जाय। आवेदनकर्त्ता एवं प्रथम एवं द्वितीय आपत्तिकर्त्ता का मार्ग भागलपुर रेलवे स्टेशन से बेगूसराय (एक ही) है।	
9	2	BR10PA-5579 (04.12.2013) श्री नीरज कुमार सिंह पिता– श्री नेपो सिंह पता–खम्हर, मु0, जिला–बेगुसराय।	प्रकाशन–29.07.25 अधिसूचित मार्ग संख्या–3154 डाउन बेगुसराय से शकरपुरा। भाया–मंझौल एवं बखरी। ट्रिप–04 (04 अप 04 डाउन)	टैक्स–21.05.26 फिटनेश–17.05.26 बीमा–15.01.26 प्रदूषण–29.06.26	➢ आपत्तिकर्त्ता श्री बिनीत कुमार, वाहन सं0–**BR09M-5982** का कहना है कि आवेदनकर्त्ता द्वारा प्राधिकार के द्वारा निर्गत नोटिस संख्या परिवहन 181/24.07.2025 के आदेश के विपरीत परमिट आवेदन किया गया है। प्राधिकार के द्वारा नोटिस का निर्ममन 24.07.2025 के करीब 03:30 अपराह्न में किया गया है। प्राधिकार के द्वारा निर्गत नोटिस में आवेदन की तिथि–25.07.2025 से 28.07.2025 तक दिया गया है, जबकि आपत्ति देने की तिथि, समय, मीटिंग की तिथि एवं समय कार्यालय कार्य दिवस एवं समय मुताबिक निर्धारित किया गया है। कार्यालय में कार्य का समय 10 बजे पूर्वाह्न से 05 बजे अपराह्न तक निर्धारित इसी अवधि में आवेदन एवं आपत्ति तथा बैठक किया जाता है, लेकिन सूचना प्रकाशन 24.07.2025 को करीब 04 बजे अपराह्न में किया गया, लेकिन वाहन स्वामी के द्वारा सिर्फ 06 घंटा के बाद 12 बजे मध्य रात्रि के बाद सिर्फ तारीख बदलते ही आवेदन किया गया है। आवेदन रात्रि के 12 बजे के बाद 12:06, 12:10 एवं	➢ आपत्तिकर्त्ता श्री बिनीत कुमार, वाहन सं0–**BR09M-5982** द्वारा समय–सारणी पर कोई आपत्ति नहीं की गई है। शेष आपत्तियाँ औचित्यहीन है। परमिट आवेदन निर्धारित तिथि के अन्दर समर्पित है तथा अपेक्षित शुल्क कभी भी जमा किया जा सकता है। अतएव परमिट आवेदन स्वीकृत किया जाता है।

MEETING HELD ON 12-08-2025

					12:20 में किया गया है, जबकि कार्य दिवस दिनांक–25.07.2025 के 10 बजे पूर्वाह्न के बाद शुरू होता है एवं सूचना प्रकाशन से 24.07.2025 से पूर्व परमिट शुल्क भी जमा किया गया है, जो विधिवत् वैध नहीं है एवं गैर कानूनी है तथा प्राधिकार के सूचना प्रकाशन सं0 परि0 181/24.07.2025 का भी उल्लंघन है। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि सूचना प्रकाशन से पूर्व परमिट एवं आवेदन शुल्क जमा करना विधिवत् वैध नहीं है तथा आवेदन की तिथि 25.07.2025 के कार्य दिवस 10 बजे के जगह रात्रि 12:00 बजे के बाद किया गया ऑनलाईन आवेदन वैध नहीं है, उचित निर्णय लिया जाए। आवेदनकर्त्ता का मार्ग बेगूसराय से शकरपुरा है तथा आपत्तिकर्त्ता का मार्ग बरौनी जंक्शन से बखरी है।	
10	3	BR10PA-1556 (29.08.2013) श्री केशव कुमार पिता– श्री संजय कुमार, पता–गुरगॉवन, नयागॉव, जिला–बेगुसराय।	प्रकाशन–29.07.25 अधिसूचित मार्ग संख्या–3225 भागलपुर रे0स्टे0 से बेगुसराय। भाया–भागलपुर डीपो, भागलपुर जीरोमाईल, नौगछिया जीरोमाईल, थाना बिहपुर, नारायणपुर, पसराहा, महेशखूँट, मानसी, खगड़िया एवं बलिया। ट्रिप–01 (01 अप 01 डाउन)	टैक्स–27.08.25 फिटनेश–16.05.26 बीमा–17.02.26 प्रदूषण–23.08.25	➢ प्रथम आपत्तिकर्त्ता श्री मनीष कुमार सिंह, वाहन सं0–**BR09PA-9827** का कहना है कि आवेदनकर्त्ता द्वारा भागलपुर रेलवे स्टेशन से बेगूसराय मार्ग पर किया गया है, जिसमें परमिट के समय–सारणी, आवेदन के समय एवं परमिट शुल्क से संबंधित है। 1. प्राधिकार की सूचना का प्रकाशन दि0–24.07.2025 करीब 04 बजे अपराहन किया गया है। 2. आवेदन की तिथि 25.07.2025 से 28.07.2025 निर्धारित किया गया है, जबकि आवेदन की तिथि के बाद ही कर दिया गया है। कार्यालय कार्य दिवस 10 बजे पूर्वाह्न के बाद शुरू होता है। साथ ही साथ परमिट एवं आवेदन शुल्क सूचना प्रकाशन के पूर्व ही जमा कर दिया गया है, जो विधिवत् वैध नहीं है एंव गैर कानूनी है। सूचना प्रकाशन का कोई औचित्य को ही समाप्त कर देता है। 3. समय–सारणी पर आपत्ति निम्न है। आपत्तिकर्त्ता आवेदनकर्त्ता नौगछिया जीरोमाईल 15:32 17:30 भागलपुर जीरोमाईल 18:00 15:57 प्राधिकार के निर्णय अनुरूप नहीं है। प्राधिकार के निर्णय मुताबिक समय–सारणी नहीं है। अतः श्रीमान् से नम्र निवेदन है कि वाहन सं0–BR10PA-1556 का आवेदन निर्गत सूचना 24.07.2025 के अनुरूप आवेदन नहीं है एवं परमिट शुल्क जमा प्रकाशन से पूर्व है, जो विधिवत् वैध नहीं है एवं गैर कानूनी है। उचित निर्णय लेने की कृपा की जाय। ➢ द्वितीय आपत्तिकर्त्ता श्री रंजीत कुमार, वाहन सं0–**BR09PA-9168** का	➢ प्रथम आपत्तिकर्त्ता द्वारा अपने आवेदित समय–सारणी, जो क्रम संख्या–36 पर उपस्थापित है, से आपत्ति की गई है, जबकि आवेदनकर्त्ता आवेदन करने के क्रम में आपत्तिकर्त्ता से वरीय हैं। यह आपत्ति स्वीकार योग्य नहीं है। ➢ द्वितीय आपत्तिकर्त्ता द्वारा अपने आवेदित समय–सारणी, जो क्रम संख्या–39 पर उपस्थापित है, से आपत्ति की गई है, जबकि आवेदनकर्त्ता आवेदन करने के क्रम में आपत्तिकर्त्ता से वरीय हैं। यह आपत्ति स्वीकार योग्य नहीं है। ➢ अतएव परमिट आवेदन स्वीकृत किया जाता है।

MEETING HELD ON 12-08-2025

					कहना है कि आवेदनकर्त्ता द्वारा भागलपुर रेलवे स्टेशन से बेगूसराय मार्ग पर किया गया है, जिसमें परमिट के समय–सारणी, आवेदन के समय एवं परमिट शुल्क से संबंधित है। 4. प्राधिकार की सूचना का प्रकाशन दि0–24.07.2025 करीब 04 बजे अपराह्न किया गया है। 5. आवेदन की तिथि 25.07.2025 से 28.07.2025 निर्धारित किया गया है, जबकि आवेदन की तिथि के बाद ही कर दिया गया है। कार्यालय कार्य दिवस 10 बजे पूर्वाह्न के बाद शुरू होता है। साथ ही साथ परमिट एवं आवेदन शुल्क सूचना प्रकाशन के पूर्व ही जमा कर दिया गया है, जो विधिवत् वैध नहीं है एंव गैर कानूनी है। सूचना प्रकाशन का कोई औचित्य को ही समाप्त कर देता है। 6. समय–सारणी पर आपत्ति निम्न है। आपत्तिकर्त्ता आवेदनकर्त्ता भागलपुर जीरोमाईल 08:45 08:41 पसराहा 10:25 10:21 प्राधिकार के निर्णय अनुरूप नहीं है। अतः श्रीमान् से नम्र निवेदन है कि वाहन सं0–**BR10PA-1556** के आवेदन पर उचित निर्णय लेने की कृपा की जाय। आवेदनकर्त्ता तथा प्रथम एवं द्वितीय आपत्तिकर्त्ता का मार्ग भागलपुर रे0स्टे0 से बेगुसराय है।	
11	4	BR43P-1809 (05.04.2013) श्री नीरज कुमार सिंह पिता– श्री नेपो सिंह पता–खम्हर, मु0, जिला–बेगुसराय।	प्रकाशन–29.07.25 अधिसूचित मार्ग संख्या–154 डाउन बेगुसराय से बखरी। भाया–मंझौल एवं पहसारा। ट्रिप–03 (03 अप 03 डाउन)	टैक्स–04.04.26 फिटनेश–27.12.25 बीमा–03.12.25 प्रदूषण–08.12.25	➢ आपत्तिकर्त्ता श्री बिनीत कुमार, वाहन सं0–**BR09M-5982** का कहना है कि आवेदनकर्त्ता द्वारा प्राधिकार के द्वारा निर्गत नोटिस संख्या परिवहन 181/24.07.2025 के आदेश के विपरीत परमिट आवेदन किया गया है। प्राधिकार के द्वारा नोटिस का निर्ममन 24.07.2025 के करीब 03:30 अपराह्न में किया गया है। प्राधिकार के द्वारा निर्गत नोटिस में आवेदन की तिथि 25.07.2025 से 28.07.2025 तक दिया गया है, जबकि आपत्ति देने की तिथि, समय, मीटिंग की तिथि एवं समय कार्यालय कार्य दिवस एवं समय मुताबिक निर्धारित किया गया है। कार्यालय में कार्य का समय 10 बजे पूर्वाह्न से 05 बजे अपराह्न तक निर्धारित इसी अवधि में आवेदन एवं आपत्ति तथा बैठक किया जाता है, लेकिन सूचना प्रकाशन 24.07.2025 को करीब 04 बजे अपराह्न मे किया गया, लेकिन वाहन स्वामी के द्वारा सिर्फ 06 घंटा के बाद 12 बजे मध्य रात्रि के बाद सिर्फ तारीख बदलते ही आवेदन किया गया है। आवेदन रात्रि के 12 बजे के बाद 12:06, 12:10 एवं 12:20 में किया गया है, जबकि कार्य दिवस दिनांक–25.07.2025 के 10 बजे पूर्वाह्न के बाद शुरू होता है एवं	➢ आपत्तिकर्त्ता द्वारा आपत्ति शुल्क जमा नही किया गया है। अतएव आपत्ति मान्य नहीं है। आपत्ति अमान्य रहने की स्थिति मे परमिट आवेदन को इस शर्त्त पर स्वीकृत किया जाता है कि वाहन की आयु 15 वर्ष पूर्ण होने के पूर्व आवेदनकर्त्ता परमिट का प्रतिस्थापन अन्य उच्च मॉडल के नये वाहन पर करा लेंगे। अन्यथा वाहन की आयु 15 वर्ष पूर्ण होने के उपरान्त परमिट स्वतः रद्द कर दिया जायेगा। इस आशय का शपथ पत्र समर्पित करने के उपरान्त ही परमिट निर्गत किया जायेगा।

MEETING HELD ON 12-08-2025

					सूचना प्रकाशन से 24.07.2025 से पूर्व परमिट शुल्क भी जमा किया गया है, जो विधिवत् वैध नहीं है एवं गैर कानूनी है तथा प्राधिकार के सूचना प्रकाशन सं0 परि0 181/24.07.2025 का भी उल्लंघन है। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि सूचना प्रकाशन से पूर्व परमिट एवं आवेदन शुल्क जमा करना विधिवत् वैध नहीं है तथा आवेदन की तिथि 25.07.2025 के कार्य दिवस 10 बजे के जगह रात्रि 12:00 बजे के बाद किया गया ऑनलाईन आवेदन वैध नहीं है, उचित निर्णय लिया जाए। आवेदनकर्त्ता का मार्ग बेगूसराय से पहसारा है तथा आपत्तिकर्त्ता का मार्ग बरौनी जंक्शन से बखरी है।	
12	5	BR50P-1665 (01.07.2014) श्री नीरज कुमार सिंह पिता– श्री नेपो सिंह पता–खम्हर, मु0, जिला–बेगुसराय।	प्रकाशन–29.07.25 अधिसूचित मार्ग संख्या–154 डाउन बेगुसराय से बखरी। भाया–मझौल एवं पहसारा। ट्रिप–03 (03 अप 03 डाउन)	टैक्स–30.09.25 फिटनेश–22.01.26 बीमा–17.07.26 प्रदूषण–23.08.25	➢ आपत्तिकर्त्ता श्री बिनीत कुमार, वाहन सं0–**BR09M-5982** का कहना है कि आवेदनकर्त्ता द्वारा प्राधिकार के द्वारा निर्गत नोटिस संख्या परिवहन 181/24.07.2025 के आदेश के विपरीत परमिट आवेदन किया गया है। प्राधिकार के द्वारा नोटिस का निर्ममन 24.07.2025 के करीब 03:30 अपराहन में किया गया है। प्राधिकार के द्वारा निर्गत नोटिस में आवेदन की तिथि 25.07.2025 से 28.07.2025 तक दिया गया है, जबकि आपत्ति देने की तिथि, समय, मीटिंग की तिथि एवं समय कार्यालय कार्य दिवस एवं समय मुताबिक निर्धारित किया गया है। कार्यालय में कार्य का समय 10 बजे पूर्वाहन से 05 बजे अपराहन तक निर्धारित इसी अवधि में आवेदन एवं आपत्ति तथा बैठक किया जाता है, लेकिन सूचना प्रकाशन 24.07.2025 को करीब 04 बजे अपराहन में किया गया, लेकिन वाहन स्वामी के द्वारा सिर्फ 06 घंटा के बाद 12 बजे मध्य रात्रि के बाद सिर्फ तारीख बदलते ही आवेदन किया गया है। आवेदन रात्रि के 12 बजे के बाद 12:06, 12:10 एवं 12:20 में किया गया है, जबकि कार्य दिवस दिनांक–25.07.2025 के 10 बजे पूर्वाहन के बाद शुरू होता है एवं सूचना प्रकाशन से 24.07.2025 से पूर्व परमिट शुल्क भी जमा किया गया है, जो विधिवत् वैध नहीं है एवं गैर कानूनी है तथा प्राधिकार के सूचना प्रकाशन सं0 परि0 181/24.07.2025 का भी उल्लंघन है। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि सूचना प्रकाशन से पूर्व परमिट एवं आवेदन शुल्क जमा करना विधिवत् वैध नहीं है तथा आवेदन की तिथि 25.07.2025 के कार्य दिवस 10 बजे के जगह रात्रि 12:00 बजे के बाद किया गया ऑनलाईन आवेदन वैध नहीं है, उचित निर्णय लिया जाए। आवेदनकर्त्ता का मार्ग बेगूसराय से बखरी है तथा आपत्तिकर्त्ता का	➢ आपत्तिकर्ता द्वारा आपत्ति शुल्क जमा नहीं किया गया है। अतएव आपत्ति मान्य नहीं है। आपत्ति अमान्य रहने की स्थिति मे परमिट आवेदन को इस शर्त्त पर स्वीकृत किया जाता है कि वाहन की आयु 15 वर्ष पूर्ण होने के पूर्व आवेदनकर्त्ता परमिट का प्रतिस्थापन अन्य उच्च मॉडल के नये वाहन पर करा लेंगे। अन्यथा वाहन की आयु 15 वर्ष पूर्ण होने के उपरान्त परमिट स्वतः रद्द कर दिया जायेगा। इस आशय का शपथ पत्र समर्पित करने के उपरान्त ही परमिट निर्गत किया जायेगा।

MEETING HELD ON 12-08-2025

					मार्ग बरौनी जंक्शन से बखरी है।	
13	6	BR09PA-8311 (27.08.2018) श्रीमती कुमकुम कुमारी पिता– श्री संजय कुमार, पता–गोरगावां नयागॉव, जिला–बेगुसराय।	प्रकाशन–29.07.25 अधिसूचित मार्ग संख्या–3225 भागलपुर रे0स्टे0 से बेगुसराय। भाया–भागलपुर डीपो, भागलपुर जीरोमाईल, नौगछिया जीरोमाईल, थाना बिहपुर, नारायणपुर, पसराहा, महेशखूँट, मानसी, खगडिया एवं बलिया। ट्रिप–02 (02 अप 02 डाउन)	टैक्स–24.08.25 फिटनेश–11.09.26 बीमा–25.08.25 प्रदूषण–06.09.25	अप्राप्त	आपत्ति अप्राप्त रहने की स्थिति में परमिट आवेदन को स्वीकृत किया जाता है।
14	7	BR08P-5490 (17.10.2024) श्री संजय कुमार पिता–श्री देव नंदन प्रसाद सिंह पता–गोरगावां, नयागॉव, जिला–बेगुसराय।	प्रकाशन–29.07.25 अधिसूचित मार्ग संख्या–3225 भागलपुर रे0स्टे0 से बेगुसराय। भाया–भागलपुर डीपो, भागलपुर जीरोमाईल, नौगछिया जीरोमाईल, थाना बिहपुर, नारायणपुर, पसराहा, महेशखूँट, मानसी, खगडिया एवं बलिया। ट्रिप–02 (02 अप 02 डाउन)	टैक्स–10.10.25 फिटनेश–16.10.26 बीमा–10.10.25 प्रदूषण–16.10.25	➢ प्रथम आपत्तिकर्त्ता श्रीमती रूपम कुमारी, वाहन सं0–**BR09PA-9543** का कहना है कि आवेदनकर्त्ता द्वारा भागलपुर रेलवे स्टेशन से बेगूसराय मार्ग पर किया गया है, जिसमें परमिट के समय–सारणी, आवेदन के समय एवं परमिट शुल्क से संबधित है। 1. प्राधिकार की सूचना का प्रकाशन दि0–24.07.2025 करीब 04 बजे अपराह्न किया गया है। 2. आवेदन की तिथि 25.07.2025 से 28.07.2025 निर्धारित किया गया है, जबकि आवेदन रात्रि के 12 बजे के बाद ही कर दिया गया है। कार्यालय कार्य दिवस 10 बजे पूर्वाहन के बाद शुरू होता है। साथ ही साथ परमिट एवं आवेदन शुल्क सूचना प्रकाशन के पूर्व ही जमा कर दिया गया है, जो गैर कानूनी एवं विधिवत् वैध नहीं है एवं गैर कानूनी है। सूचना प्रकाशन का कोई औचित्य को ही समाप्त कर देता है। 3. समय–सारणी पर आपत्ति निम्न है। आपत्तिकर्त्ता — आवेदनकर्त्ता महेशखूंट 05:51 — 05:49 मानसी 06:08 — 06:06 प्राधिकार के निर्णय मुताबिक समय –सारणी नहीं है। अतः श्रीमान् से नम्र निवेदन है कि वाहन सं0– BR08P-5490 का आवेदन सूचना निर्गत तिथि 24.07.2025 के अनुरूप नही है एवं परमिट शुल्क जमा सूचना प्रकाशन से पूर्व किया गया है, जो विधिवत् वैध नहीं है एवं गैर कानूनी है। उचित निर्णय लेने की कृपा की जाय। ➢ द्वितीय आपत्तिकर्त्ता श्री अजीत कुमार, वाहन सं0–**BR09PA-9832** का कहना है कि आवेदनकर्त्ता द्वारा भागलपुर रेलवे स्टेशन से बेगूसराय मार्ग पर किया गया है, जिसमें परमिट के समय–सारणी, आवेदन के समय एवं परमिट शुल्क से संबंधित है। 1. प्राधिकार की सूचना का प्रकाशन परि0–181/24.07.2025 करीब 04 बजे अपराह्न किया गया है। 2. आवेदन की तिथि 25.07.2025 से	➢ प्रथम आपत्तिकर्त्ता श्रीमती रूपम कुमारी, वाहन सं0–**BR09PA-9543** का निर्गत परमिट से आवेदनकर्त्ता के समय–सारणी से मध्य बिन्दु महेशखूंट में प्रस्थान समय 05:49 पर एवं मध्य बिन्दु मानसी में प्रस्थान समय 06:06 पर टकराव है। शेष आपत्तियाँ औचित्यहीन है। परमिट आवेदन निर्धारित तिथि के अन्दर समर्पित है तथा अपेक्षित शुल्क कभी भी जमा किया जा सकता है। ➢ भागलपुर डीपो में किसी भी निजी वाहन का ठहराव नहीं होता है। अतएव द्वितीय आपत्तिकर्त्ता की यह आपत्ति मान्य नहीं है। शेष आपत्तियाँ औचित्यहीन है। परमिट आवेदन निर्धारित तिथि के अन्दर समर्पित है तथा अपेक्षित शुल्क कभी भी जमा किया जा सकता है। ➢ तृतीय आपत्तिकर्त्ता द्वारा अपने आवेदित समय–सारणी, जो क्रम संख्या–48 पर उपस्थापित है, से आपत्ति की गई है, जबकि आवेदनकर्त्ता आवेदन करने के क्रम में आपत्तिकर्त्ता से वरीय हैं। यह आपत्ति स्वीकार योग्य नहीं है। आवेदनकर्त्ता के तरफ से उनके विद्वान अधिवक्ता द्वारा शपथ पत्र के साथ एक आवेदन समर्पित किया गया है जिसमें उनके द्वारा महेशखूंट में प्रस्थान समय 05:49 के स्थान पर 05:45, मानसी में प्रस्थान समय 06:06 के स्थान पर 06:02 तथा भागलपूर डिपो में आगमन एवं प्रस्थान 21:05 के स्थान पर 21:06 संशोधित करने का अनुरोध किया गया है। उपरोक्त आलोक में इस शर्त के साथ परमिट आवेदन की स्वीकृति दी जाती है कि उपर्युक्त संशोधित समय पर एक सप्ताह के अन्दर टकराव संबंधी आपत्ति प्राप्त होती है और यदि टकराव पाया जाता है तो परमिट आवेदन अस्वीकृत कर दिया जायेगा। निर्धारित अवधि में आपत्ति अप्राप्त रहने की स्थिति मे परमिट निर्गत किया जायेगा। उपरोक्त संशोधन के समय भागलपुर डिपो को छोडकर यदि किन्ही वाहन स्वामी का टकराव होता है तो एक सप्ताह के अन्दर नियमानुसार आपत्ति

MEETING HELD ON 12-08-2025

				28.07.2025 निर्धारित किया गया है, जबकि आवेदन रात्रि के 12 बजे के बाद ही कर दिया गया है। कार्यालय कार्य दिवस 10 बजे पूर्वाह्न के बाद शुरू होता है। साथ ही साथ परमिट एवं आवेदन शुल्क सूचना प्रकाशन के पूर्व ही जमा कर दिया गया है, जो गैर कानूनी एवं विधिवत् वैध नहीं है एंव गैर कानूनी है। सूचना प्रकाशन का कोई औचित्य को ही समाप्त कर देता है। 3. समय–सारणी पर आपत्ति निम्न है। आपत्तिकर्त्ता आवेदनकर्त्ता (दि0–30.06.2025) भागलपुर डीपो 21:05–21:05 21:05–21:05 प्राधिकार के निर्णय मुताबिक समय–सारणी नहीं है। अतः श्रीमान् से नम्र निवेदन है कि वाहन सं0– BR08P-5490 का आवेदन सूचना निर्गत तिथि 24.07.2025 के अनुरूप नहीं है एवं परमिट शुल्क जमा सूचना प्रकाशन से पूर्व किया गया है, जो विधिवत् वैध नहीं है एवं गैर कानूनी है। उचित निर्णय लेने की कृपा की जाय। ➤ तृतीय आपत्तिकर्त्ता श्री अमरजीत कुमार, वाहन सं0–**BR09PA-9542** का कहना है कि आवेदनकर्त्ता द्वारा भागलपुर रेलवे स्टेशन से बेगूसराय मार्ग पर किया गया है, जिसमें परमिट के समय–सारणी, आवेदन के समय एवं परमिट शुल्क से संबंधित है। 1. प्राधिकार की सूचना का प्रकाशन परि0–181 / 24.07.2025 करीब 04 बजे अपराह्न किया गया है। 2. आवेदन की तिथि 25.07.2025 से 28.07.2025 निर्धारित किया गया है, जबकि आवेदन रात्रि के 12 बजे के बाद ही कर दिया गया है। कार्यालय कार्य दिवस 10 बजे पूर्वाह्न के बाद शुरू होता है। साथ ही साथ परमिट एवं आवेदन शुल्क सूचना प्रकाशन के पूर्व ही जमा कर दिया गया है, जो गैर कानूनी एवं विधिवत् वैध नहीं है एंव गैर कानूनी है। सूचना प्रकाशन का कोई औचित्य को ही समाप्त कर देता है। 3. समय–सारणी पर आपत्ति निम्न है। आपत्तिकर्त्ता आवेदनकर्त्ता थाना बिहपुर 13:45 13:45 महेशखूंट 14:48 14:44 प्राधिकार के निर्णय अंतराल 05 मिनट का उल्लंघन है। अतः श्रीमान् से नम्र निवेदन है कि वाहन सं0–BR08P-5490 का आवेदन विधिवत् वैध एवं सूचना प्रकाशन मुताबिक सही नहीं है एवं आवेदन पर उचित निर्णय लेने की कृपा की जाय। आवेदनकर्त्ता एवं प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय आपत्तिकर्त्ता का मार्ग	समर्पित कर सकते है। निर्धारित अवधि के बाद आपत्ति स्वीकार नहीं किया जायेगा। आगमन समय पर आपत्ति स्वीकार्य नहीं है।

MEETING HELD ON 12-08-2025

					भागलपुर रे0स्टे0 से बेगुसराय है।	
15	8	BR11PD-9218 (05.05.2025) श्री अमरेन्द्र कुमार पिता–श्री गणेश चौधरी, पता–कुरसंडी, जिला–मधेपुरा।	प्रकाशन–29.07.25 अधिसूचित मार्ग संख्या–3045 आलमनगर से खगड़िया। भाया–बेलदौर, सोनवर्षाघाट, उसराहा(इसराहा) एवं महेशखूंट। ट्रिप–02 (02 अप 02 डाउन)	टैक्स–28.09.25 फिटनेश–04.05.27 बीमा–22.04.26 प्रदूषण–04.05.26	➢ आपत्तिकर्त्ता श्री अजय कुमार, वाहन सं0–**BR10PA-7790** का कहना है कि आवेदनकर्त्ता द्वारा किये गये प्रस्तावित समय–सारणी में मेरे वाहन के निर्गत समय–सारणी से टकराव पूर्ण है, जो निम्न है :– आपत्तिकर्त्ता आवेदनकर्त्ता आलमनगर 03:10 03:10 बेलदौर 03:50 03:50 अतः प्राथना है कि समय–सारणी में टकराव को देखते हुए आवेदक के आवेदित आवेदन को अस्वीकृत करने की कृपा की जाय। आवेदनकर्त्ता का मार्ग आलमनगर से खगड़िया है तथा आपत्तिकर्त्ता का मार्ग खगड़िया से आलमनगर है।	➢ आपत्तिकर्त्ता श्री अजय कुमार, वाहन सं0–**BR10PA-7790** का निर्गत परमिट से आवेदनकर्त्ता के समय–सारणी से मुख्य बिन्दु आलमनगर में प्रस्थान समय 03:10 पर एवं मध्य बिन्दु बेलदौर में प्रस्थान समय 03:50 पर टकराव है। आवेदनकर्त्ता द्वारा एक आवेदन समर्पित किया गया है जिसमें उनके द्वारा आलमनगर में प्रस्थान समय 15:10 (03:10) के स्थान पर 15:05 एवं बेलदौर में आगमन समय 15:30 (03:30) एवं प्रस्थान समय 15:50 (03:50) के स्थान पर 15:35 संशोधित करने का अनुरोध किया गया है। साथ ही उनके द्वारा खगड़िया में टंकन भूलवश 11:09 के जगह 11:05 होने का उल्लेख करते हुए 11:05 के स्थान पर 11:09 संशोधित करने का अनुरोध किया गया है। उपरोक्त आलोक में इस शर्त के साथ परमिट आवेदन की स्वीकृति दी जाती है कि आवेदनकर्त्ता इस आशय का शपथ पत्र तत्काल समर्पित करेंगे कि उपर्युक्त संशोधित समय पर एक सप्ताह के अन्दर टकराव संबंधी आपत्ति प्राप्त होती है और यदि टकराव पाया जाता है तो परमिट आवेदन अस्वीकृत कर दिया जायेगा। निर्धारित अवधि में आपत्ति अप्राप्त रहने की स्थिति में परमिट निर्गत किया जायेगा। उपरोक्त संशोधन के समय पर यदि किन्ही वाहन स्वामी का टकराव होता है तो एक सप्ताह के अन्दर नियमानुसार आपत्ति समर्पित कर सकते है। निर्धारित अवधि के बाद आपत्ति स्वीकार नहीं किया जायेगा। आगमन समय पर आपत्ति स्वीकार्य नहीं है।
16	9	BR10PA-7691 (22.02.2016) श्री ब्रजेश कुमार सिंह, पिता–स्व0 योगेन्द्र ना0 सिंह, पता–बख्तियारपुर, मानसी, जिला–खगड़िया।	प्रकाशन–29.07.25 अधिसूचित मार्ग संख्या–3045 डाउन खगड़िया से आलमनगर। भाया–महेशखूँट, उसराहा (इसराहा), सोनवर्षाघाट एवं बेलदौर। ट्रिप–03 (03 अप 03 डाउन)	टैक्स–14.08.25 फिटनेश–26.04.26 बीमा–30.01.26 प्रदूषण–06.03.26	➢ प्रथम आपत्तिकर्त्ता श्रीमती डेजी कुमारी, वाहन सं0–**BR34P-6401** का कहना है कि प्राधिकार का नियम है कि सभी जगहों पर 05 मिनट का अन्तराल होना चाहिए, लेकिन आवेदित वाहन सं0–BR10PA-7691 के वाहन स्वामी ब्रजेश कुमार सिंह के द्वारा बेलदौर में एक मिनट छोड़कर आवेदन किया गया है जिसपर टकराव है :– आपत्तिकर्त्ता आवेदनकर्त्ता बेलदौर 11:56 11:55 अतः श्रीमान् से निवेदन है कि वाहन सं0–BR10PA-7691 के वाहन स्वामी ब्रजेश कुमार के द्वारा बेलदौर में मात्र 1 मिनट छोड़कर आवेदन किया है। यह प्राधिकार के नियम के विरूद्ध आवेदन किया है। इस आवेदन को रद्द करने की कृपा की जाय। ➢ द्वितीय आपत्तिकर्त्ता श्री कृष्ण मोहन, वाहन सं0–**BR34P-6488** का कहना है कि प्राधिकार का नियम है कि सभी जगहों पर 05 मिनट का अन्तराल होना चाहिए, लेकिन	➢ प्रथम आपत्तिकर्त्ता श्रीमती डेजी कुमारी, वाहन सं0–**BR34P-6401** का निर्गत परमिट से आवेदनकर्त्ता के समय–सारणी से मध्य बिन्दु बेलदौर में प्रस्थान समय 11:55 पर टकराव है। ➢ द्वितीय आपत्तिकर्त्ता श्री कृष्ण मोहन, वाहन सं0–**BR34P-6488** का निर्गत परमिट से आवेदनकर्त्ता के समय–सारणी से मुख्य बिन्दु खगड़िया में प्रस्थान समय 03:35 पर टकराव है एवं मध्य बिन्दु बेलदौर में प्रस्थान समय 05:31 पर टकराव है। ➢ तृतीय आपत्तिकर्त्ता श्री अमरेन्द्र कुमार, वाहन सं0–**BR09PA-9218** का निर्गत परमिट से आवेदनकर्त्ता के समय–सारणी से मध्य बिन्दु महेशखूंट में प्रस्थान समय 10:18 पर एवं मध्य बिन्दु सोनवर्षाघाट में प्रस्थान समय 10:58 पर टकराव है। ➢ चतुर्थ आपत्तिकर्त्ता श्री अमरेन्द्र कुमार, वाहन सं0–**BR11R-9418** का निर्गत परमिट से आवेदनकर्त्ता के समय–सारणी से मध्य बिन्दु महेशखूंट में 18:22 पर टकराव है। अतएव आवेदनकर्त्ता को आपत्ति

MEETING HELD ON 12-09-2025

					आवेदनकर्त्ता वाहन सं0–BR10PA-7691 के वाहन स्वामी ब्रजेश कुमार सिंह के द्वारा मेरे स्वीकृत परमिट के आगे खगड़िया एवं बेलदौर में 04 (चार) मिनट छोड़कर आवेदन किया गया है, जिसपर टकराव है :– आपत्तिकर्त्ता आवेदनकर्त्ता खगड़िया 03:39 03:35 बेलदौर 05:35 05:31 अतः श्रीमान् से निवेदन है कि वाहन सं0–BR10PA-7691 के वाहन स्वामी ब्रजेश कुमार के द्वारा खगड़िया एवं बेलदौर में मात्र 4 मिनट छोड़कर आवेदन किया है। यह प्राधिकार के नियम के विरूद्ध आवेदन किया है। इस आवेदन को रद्द करने की कृपा की जाय। ➢ तृतीय आपत्तिकर्त्ता श्री अमरेन्द्र कुमार, वाहन सं0–**BR09PA-9218** का कहना है कि आवेदनकर्त्ता के द्वारा किया गया प्रस्तावित समय–सारणी मेरे निर्गत समय–सारणी से टकराव है, जो निम्न है :– आपत्तिकर्त्ता आवेदनकर्त्ता महेशखूंट 10:22 10:18 सोनवर्षाघाट 11:02 10:58 आवेदनकर्त्ता द्वारा मध्य बिन्दु पर 4 मिनट के अन्तराल पर आवेदन किया है, जबकि प्राधिकार का निर्णय है कि 05 मिनट के अन्तराल पर आवेदन होना चाहिए। ➢ चतुर्थ आपत्तिकर्त्ता श्री अमरेन्द्र कुमार, वाहन सं0–**BR11R-9418** का कहना है कि आवेदनकर्त्ता के द्वारा किया गया प्रस्तावित समय–सारणी मेरे निर्गत समय–सारणी से टकराव है, जो निम्न है :– आपत्तिकर्त्ता आवेदनकर्त्ता महेशखूंट 18:25 18:22 आवेदनकर्त्ता द्वारा मध्य बिन्दु पर 3 मिनट के अन्तराल पर आवेदन किया है, जबकि प्राधिकार का निर्णय है कि 05 मिनट के अन्तराल पर आवेदन होना चाहिए। आवेदनकर्त्ता, प्रथम एवं द्वितीय का मार्ग खगड़िया से आलमनगर है तथा तृतीय एवं चतुर्थ आपत्तिकर्त्ता का मार्ग आलमनगर से खगड़िया है।	–कर्त्ताओं के समय–सारणी से उक्त टकराव के बिन्दुओं पर अगली बैठक में संशोधित समय–सारणी समर्पित करने हेतु एक मौका दिया जाता है। अगली बैठक में संशोधित समय सारणी समर्पित नहीं करने अथवा संशोधन के बिन्दु पर पुनः किसी वाहन के समय सारणी से टकराव होने पर परमिट आवेदन अस्वीकृत कर दिया जायेगा।
17	10	BR09PA-6805 (30.08.2018) श्री अंकज कुमार पिता–पारसनाथ सिंह, पता–शाहपुर, मु0, जिला–बेगुसराय।	प्रकाशन–29.07.25 अधिसूचित मार्ग संख्या–3225 डाउन बेगुसराय से भागलपुर रे0स्टे0। भाया–बलिया, खगड़िया, मानसी, महेशखूँट, पसराहा, नारायणपुर, थाना बिहपुर, नौगछिया जीरोमाईल एवं भागलपुर जीरोमाईल। ट्रिप–02 (02 अप 02 डाउन)	टैक्स–27.08.25 फिटनेश–11.09.26 बीमा–28.08.25 प्रदूषण–06.09.25	➢ आपत्तिकर्त्ता श्री रंजीत कुमार, वाहन सं0–**BR09PA-9168** का कहना है कि आवेदनकर्त्ता द्वारा भागलपुर रेलवे स्टेशन से बेगूसराय मार्ग पर किया गया है, जिसमें परमिट के समय–सारणी, आवेदन के समय एवं परमिट शुल्क से संबंधित है। 1. प्राधिकार की सूचना का प्रकाशन दि0–24.07.2025 करीब 04 बजे अपराह्न किया गया है। 2. आवेदन की तिथि 25.07.2025 से 28.07.2025 निर्धारित किया गया है, जबकि आवेदन की तिथि के बाद ही कर दिया गया है। कार्यालय कार्य	➢ आपत्तिकर्त्ता द्वारा अपने आवेदित समय–सारणी, जो क्रम संख्या–39 पर उपस्थापित है, से आपत्ति की गई है। आवेदनकर्त्ता आवेदन करने के क्रम में आपत्तिकर्त्ता से वरीय हैं। यह आपत्ति स्वीकार योग्य नहीं है। शेष आपत्तियाँ औचित्यहीन है। परमिट आवेदन निर्धारित तिथि के अन्दर समर्पित है तथा अपेक्षित शुल्क कभी भी जमा किया जा सकता है। अतएव परमिट आवेदन स्वीकृत किया जाता है।

MEETING HELD ON 12-08-2025

					दिवस 10 बजे पूर्वाह्न के बाद शुरू होता है। साथ ही साथ परमिट एवं आवेदन शुल्क सूचना प्रकाशन के पूर्व ही जमा कर दिया गया है, जो विधिवत् वैध नहीं है एंव गैर कानूनी है। सूचना प्रकाशन का कोई औचित्य को ही समाप्त कर देता है। 3. समय–सारणी पर आपत्ति निम्न है। आपत्तिकर्त्ता आवेदनकर्त्ता भागलपुर जीरोमाईल 08:14 08:13 नौगछिया जीरोमाईल 08:46 08:46 थाना बिहपुर 09:07 09:05 प्राधिकार के निर्णय समय अन्तराल का उल्लंघन है। अतः श्रीमान् से नम्र निवेदन है कि वाहन सं0–BR09PA-6805 का आवेदन सूचना निर्गत तिथि 24.07.2025 के अनुरूप नहीं है एवं परमिट शुल्क जमा सूचना प्रकाशन से पूर्व किया गया है, जो विधिवत् वैध नहीं है एवं गैर कानूनी है। उचित निर्णय लेने की कृपा की जाय। आवेदनकर्त्ता एवं आपत्तिकर्त्ता का मार्ग बेगुसराय से भागलपुर रे0स्टे0 है।	
18	11	BR11PD-9318 (05.05.2025) श्री अमरेन्द्र कुमार पिता–श्री गणेश चौधरी, पता–कुरसंडी, जिला–मधेपुरा।	प्रकाशन–29.07.25 अधिसूचित मार्ग संख्या–3045 आलमनगर से खगड़िया। भाया–बेलदौर, सोनवर्षाघाट, उसराहा(इसराहा) एवं महेशखूंट। ट्रिप–02 (02 अप 02 डाउन)	टैक्स–29.09.25 फिटनेश–04.05.27 बीमा–22.04.26 प्रदूषण–04.05.26	➤ प्रथम आपत्तिकर्त्ता ब्रजेश कुमार सिंह, वाहन सं0–**BR10PA-7691** का कहना है कि आवेदनकर्त्ता द्वारा किये गये प्रस्तावित समय–सारणी मेरे प्रस्तावित समय–सारणी से टकराव है, जो निम्न है:– आपत्तिकर्त्ता आवेदनकर्त्ता खगडिया 09:39 09:37 आवेदनकर्त्ता द्वारा खगड़िया में 02 (दो) मिनट के अन्तराल पर प्रस्तावित समय–सारणी का आवेदन दिया है जो प्राधिकार के निर्णय का उल्लंघन है। ➤ द्वितीय आपत्तिकर्त्ता ब्रजेश कुमार सिंह, वाहन सं0–**BR34P-6415** का कहना है कि आवेदनकर्त्ता द्वारा किये गये प्रस्तावित समय–सारणी मेरे प्रस्तावित समय–सारणी से टकराव है, जो निम्न है:– आपत्तिकर्त्ता आवेदनकर्त्ता आलमनगर 13:27 13:24 महेशखूंट 17:35 17:38 बेलदौर 18:55 18:55 अतः श्रीमान् से निवेदन है कि आवेदनकर्त्ता के प्रस्तावित समय–सारणी के आवेदन को रद्द करने की कृपा की जाय। आवेदनकर्त्ता का मार्ग आलमनगर से खगडिया है तथा प्रथम एवं द्वितीय आपत्तिकर्त्ता का मार्ग खगडिया से आलमनगर है।	➤ प्रथम आपत्तिकर्त्ता द्वारा अपने आवेदित समय–सारणी, जो क्रम संख्या–16 पर उपस्थापित है, से आपत्ति की गई है। आपत्तिकर्त्ता आवेदन करने के क्रम में आवेदनकर्त्ता से वरीय हैं, जिसके समय–सारणी से खगड़िया में 09:37 पर टकराव है। टंकण भूलवश आपत्ति प्रकाशन में खगड़िया के स्थान पर बेलदौर टंकित हो गया था, जिसे शुद्ध किया गया है। प्रथम आपत्तिकर्त्ता को संशोधित समय सारणी समर्पित करने हेतु एक मौका देने का प्रस्ताव है। ➤ द्वितीय आपत्तिकर्त्ता ब्रजेश कुमार सिंह, वाहन सं0–**BR34P-6415** के वाहन स्वामी नहीं हैं। बैठक में वाहन सं0–**BR34P-6415** के वाहन स्वामी श्रीमती रेणु देवी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा इस वाहन का आवेदन जो क्रमांक–22 पर उपस्थापित है, को वापस लेने की बात कही गयी। अतएव इस वाहन से की गयी आपत्ति निरस्त की जाती है। आवेदनकर्त्ता द्वारा एक आवेदन समर्पित किया गया है जिसमें उनके द्वारा खगड़िया में प्रस्थान बिन्दू 09:37 के स्थान पर 09:44 संशोधित करने का अनुरोध किया गया है। उपरोक्त आलोक में इस शर्त के साथ परमिट आवेदन की स्वीकृति दी जाती है कि आवेदनकर्त्ता इस आशय का शपथ पत्र तत्काल समर्पित करेंगे कि उपर्युक्त संशोधित समय पर एक सप्ताह के अन्दर टकराव संबंधी आपत्ति प्राप्त होती है और यदि टकराव पाया जाता है तो परमिट आवेदन अस्वीकृत कर दिया जायेगा। निर्धारित अवधि में आपत्ति

MEETING HELD ON 22-08-2025

						अप्राप्त रहने की स्थिति में परमिट निर्गत किया जायेगा। उपरोक्त संशोधन के समय पर यदि किन्ही वाहन स्वामी का टकराव होता है तो एक सप्ताह के अन्दर नियमानुसार आपत्ति समर्पित कर सकते है। निर्धारित अवधि के बाद आपत्ति स्वीकार नहीं किया जायेगा। आगमन समय पर आपत्ति स्वीकार्य नहीं है।
19	12	BR01PF-4872 (04.07.2015) श्री नीरज कुमार सिंह पिता– श्री नेपो सिंह पता–खम्हर, मु0, जिला–बेगुसराय।	प्रकाशन–29.07.25 अधिसूचित मार्ग संख्या–3154 डाउन बेगुसराय से शकरपुरा। भाया–मंझौल एवं बखरी। ट्रिप–04 (04 अप 04 डाउन)	टैक्स–05.05.26 फिटनेश–21.06.26 बीमा–16.08.25 प्रदूषण–19.06.26	➢ आपत्तिकर्त्ता श्री बिनीत कुमार, वाहन सं0–**BR09M-5982** का कहना है कि आवेदनकर्त्ता द्वारा प्राधिकार के द्वारा निर्गत नोटिस संख्या परिवहन 181/24.07.2025 के आदेश के विपरीत परमिट आवेदन किया गया है। प्राधिकार के द्वारा नोटिस का निर्ममन 24.07.2025 के करीब 03:30 अपराह्न में किया गया है। प्राधिकार के द्वारा निर्गत नोटिस में आवेदन की तिथि 25.07.2025 से 28.07.2025 तक दिया गया है, जबकि आपत्ति देने की तिथि, समय, मीटिंग की तिथि एवं समय कार्यालय कार्य दिवस एवं समय मुताबिक निर्धारित किया गया है। कार्यालय में कार्य का समय 10 बजे पूर्वाह्न से 05 बजे अपराह्न तक निर्धारित इसी अवधि में आवेदन एवं आपत्ति तथा बैठक किया जाता है, लेकिन सूचना प्रकाशन 24.07.2025 को करीब 04 बजे अपराह्न में किया गया, लेकिन वाहन स्वामी के द्वारा सिर्फ 06 घंटा के बाद 12 बजे मध्य रात्रि के बाद सिर्फ तारीब बदलते ही आवेदन किया गया है। आवेदन रात्रि के 12 बजे के बाद 12:06, 12:10 एवं 12:20 में किया गया है, जबकि कार्य दिवस दिनांक–25.07.2025 के 10 बजे पूर्वाह्न के बाद शुरू होता है एवं सूचना प्रकाशन से 24.07.2025 से पूर्व परमिट शुल्क भी जमा किया गया है, जो विधिवत् वैध नहीं है एवं गैर कानूनी है तथा प्राधिकार के सूचना प्रकाशन सं0 परि0 181/24.07.2025 का भी उल्लंघन है। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि सूचना प्रकाशन से पूर्व परमिट एवं आवेदन शुल्क जमा करना विधिवत् वैध नहीं है तथा आवेदन की तिथि 25.07.2025 के कार्य दिवस 10 बजे के जगह रात्रि 12:00 बजे के बाद किया गया ऑनलाईन आवेदन वैध नही है, उचित निर्णय लिया जाए। आवेदनकर्त्ता का मार्ग बेगूसराय से शकरपुरा है तथा आपत्तिकर्त्ता का मार्ग बरौनी जंक्शन से बखरी है।	➢ आपत्तिकर्त्ता द्वारा आपत्ति शुल्क जमा नहीं किया गया है। अतएव आपत्ति खारिज करते हुए परमिट आवेदन स्वीकृत किया जाता है।
20	13	BR08P-9317 (07.10.2024) श्री अमित कुमार, पिता– मंटू कुमार सिंह पता–मिल्की, गंगटामोड, गंगटा,	प्रकाशन–29.07.25 अधिसूचित मार्ग संख्या–**MPPY** 1186 टेटियाबम्बर से मुंगेर। भाया–गोरवाडीह, बनौली एवं हवेली खड़गपुर। ट्रिप–02	टैक्स–27.09.26 फिटनेश–06.10.26 बीमा–27.09.25 प्रदूषण–06.10.25	➢ आपत्तिकर्त्ता संजय कुमार रमण, वाहन सं0–**BR08P-5508** का कहना है कि आवेदनकर्त्ता द्वारा किये गये प्रस्तावित समय–सारणी मेरे निर्गत समय–सारणी से टकराव है, जो निम्न है:– आपत्तिकर्त्ता आवेदनकर्त्ता	➢ आपत्तिकर्त्ता के समय–सारणी से मध्य बिन्दु खड़गपुर में 01:22 पर टकराव है। दोनों पक्षो द्वारा एक समझौता आवेदन समर्पित किया गया है जिसमें खड़गपुर में प्रस्थान समय 01:22 के स्थान पर 01:45 संशोधित करने का

MEETING HELD ON 12-08-2025

		जिला–मुंगेर।	(02 अप 02 डाउन)		खड़गपुर 01:25 01:22 आवेदनकर्त्ता टेटियाबम्बर से भाया गौरवडीह, बनौली, खड़गपुर मार्ग पर आवेदन किये हैं, जबकि अधिसूचित मार्ग टेटियाबम्बर से राजारानी तलाब खड़गपुर, बरियारपुर मार्ग पर है। आवेदनकर्त्ता समय–सारणी में बरियारपुर का समय–सारणी नहीं दिये हैं। आवेदनकर्त्ता का समय–सारणी त्रुटिपूर्ण है। आवेदनकर्त्ता का अधिसूचित मार्ग **MPPY**1186 के तहत् टेटियाबम्बर से मुंगेर है तथा आपत्तिकर्त्ता का अधिसूचित मार्ग **MPPY1177** के तहत् दुर्गापुर से मुंगेर है।	अनुरोध किया गया है। उपरोक्त आलोक में इस शर्त के साथ परमिट आवेदन की स्वीकृति दी जाती है कि आवेदनकर्त्ता इस आशय का शपथ पत्र तत्काल समर्पित करेंगे कि उपर्युक्त संशोधित समय पर एक सप्ताह के अन्दर टकराव संबंधी आपत्ति प्राप्त होती है और यदि टकराव पाया जाता है तो परमिट आवेदन अस्वीकृत कर दिया जायेगा। निर्धारित अवधि में आपत्ति अप्राप्त रहने की स्थिति में परमिट निर्गत किया जायेगा। उपरोक्त संशोधन के समय पर यदि किन्ही वाहन स्वामी का टकराव होता है तो एक सप्ताह के अन्दर नियमानुसार आपत्ति समर्पित कर सकते है। निर्धारित अवधि के बाद आपत्ति स्वीकार नही किया जायेगा। आगमन समय पर आपत्ति स्वीकार्य नहीं है।
21	14	BR11PA-9418 (04.07.2016) श्री आशुतोष चन्द्र चौधरी, पिता–श्री गणेश चौधरी, पता–कुरसंडी, पुरैनी, जिला–मधेपुरा।	प्रकाशन–29.07.25 अधिसूचित मार्ग संख्या–3045 आलमनगर से खगड़िया। भाया–बेलदौर, सोनवर्षाघाट, उसराहा(इसराहा) एवं महेशखूंट। ट्रिप–02 (02 अप 02 डाउन)	टैक्स–19.06.26 फिटनेश–09.01.26 बीमा–16.11.25 प्रदूषण–27.03.26	➢ आपत्तिकर्त्ता ब्रजेश कुमार सिंह, वाहन सं0–**BR10PA-7691** का कहना है कि आवेदनकर्त्ता द्वारा किये गये प्रस्तावित समय–सारणी मेरे प्रस्तावित समय–सारणी से टकराव है, जो निम्न है:– आपत्तिकर्त्ता आवेदनकर्त्ता खगड़िया 17:25 17:25 महेशखूंट 18:22 18:20 आवेदनकर्त्ता एवं आपत्तिकर्त्ता के समय–सारणी खगड़िया में **Same** एवं महेशखूंट में 02 मिनट का अन्तराल है। आवेदनकर्त्ता का मार्ग आलमनगर से खगड़िया है तथा आपत्तिकर्त्ता का मार्ग खगड़िया से आलमनगर है।	➢ आपत्तिकर्त्ता द्वारा अपने आवेदित समय–सारणी, जो क्रम संख्या–16 पर उपस्थापित है, से आपत्ति की गई है। आपत्तिकर्त्ता आवेदन करने के क्रम में आवेदनकर्त्ता से वरीय हैं, जिसके समय–सारणी से मुख्य बिन्दु खगड़िया में प्रस्थान समय 17:25 पर एवं मध्य बिन्दु महेशखूंट में प्रस्थान समय 18:20 पर टकराव है। आवेदनकर्त्ता द्वारा एक आवेदन समर्पित किया गया है जिसमें खगड़िया में प्रस्थान समय 17:25 के स्थान पर 17:35 एवं महेशखूँट में प्रस्थान समय 18:20 के स्थान पर 18:33 संशोधित करने का अनुरोध किया गया है। उपरोक्त आलोक में इस शर्त के साथ परमिट आवेदन की स्वीकृति दी जाती है कि आवेदनकर्त्ता इस आशय का शपथ पत्र तत्काल समर्पित करेंगे कि उपर्युक्त संशोधित समय पर एक सप्ताह के अन्दर टकराव संबंधी आपत्ति प्राप्त होती है और यदि टकराव पाया जाता है तो परमिट आवेदन अस्वीकृत कर दिया जायेगा। निर्धारित अवधि में आपत्ति अप्राप्त रहने की स्थिति में परमिट निर्गत किया जायेगा। उपरोक्त संशोधन के समय पर यदि किन्ही वाहन स्वामी का टकराव होता है तो एक सप्ताह के अन्दर नियमानुसार आपत्ति समर्पित कर सकते है। निर्धारित अवधि के बाद आपत्ति स्वीकार नही किया जायेगा। आगमन समय पर आपत्ति स्वीकार्य नहीं है।
22	15	BR34P-6415 (12.04.2023) श्रीमती रेणु देवी, पति–श्री ब्रजेश कुमार सिंह, पता–बख्तियारपुर, मानसी, जिला–खगड़िया।	प्रकाशन–29.07.25 अधिसूचित मार्ग संख्या–3045 डाउन खगड़िया से आलमनगर। भाया–महेशखूँट, उसराहा (इसराहा), सोनवर्षाघाट एवं बेलदौर। ट्रिप–03	टैक्स–29.09.25 फिटनेश–23.04.27 बीमा–30.03.26 प्रदूषण–15.07.26	➢ प्रथम आपत्तिकर्त्ता श्री अमरेन्द्र कुमार, वाहन सं0–**BR11R-9418** का कहना है कि आवेदनकर्त्ता के द्वारा किया गया प्रस्तावित समय–सारणी मेरे निर्गत समय–सारणी से टकराव है, जो निम्न है :– आपत्तिकर्त्ता आवेदनकर्त्ता महेशखूंट 08:36 08:32 आवेदनकर्त्ता द्वारा मध्य बिन्दु पर 4 मिनट के अन्तराल पर आवेदन	➢ बैठक में श्रीमती रेणु देवी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा परमिट आवेदन वापस लेने की बात कही गयी। परमिट आवेदन ऑनलाईन से हटा दिया जाय।

			(03 अप 03 डाउन)		किया है, जबकि प्राधिकार के द्वारा सभी बिन्दु पर 05 मिनट के अन्तराल पर रखा गया है। ➢ द्वितीय आपत्तिकर्त्ता श्री अमरेन्द्र कुमार, वाहन सं0–**BR09PA-9218** का कहना है कि आवेदनकर्त्ता के द्वारा किया गया प्रस्तावित समय–सारणी मेरे निर्गत समय–सारणी से टकराव है, जो निम्न है :– आपत्तिकर्त्ता आवेदनकर्त्ता सोनवर्षाघाट 18:15 18:15 बेलदौर 11:47 11:45 आवेदनकर्त्ता द्वारा मध्य बिन्दु सोनवर्षाघाट में **Same** समय एवं बेलदौर में 02 मिनट के अन्तराल पर आवेदन किया है, जबकि प्राधिकार का निर्णय है कि 05 मिनट के अन्तराल पर आवेदन होना चाहिए। ➢ तृतीय आपत्तिकर्त्ता श्री अमरेन्द्र कुमार, वाहन सं0–**BR11PD-9318** का कहना है कि आवेदनकर्त्ता के द्वारा किया गया प्रस्तावित समय–सारणी मेरे प्रस्तावित समय–सारणी से टकराव है, जो निम्न है :– आपत्तिकर्त्ता आवेदनकर्त्ता महेशखूंट 17:38 17:37 आवेदनकर्त्ता द्वारा मध्य बिन्दु महेशखूंट में 01 मिनट के अन्तराल पर आवेदन किया है, जबकि प्राधिकार का निर्णय है कि 05 मिनट के अन्तराल पर आवेदन होना चाहिए। आवेदनकर्त्ता का मार्ग खगड़िया से आलमनगर है तथा प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय आपत्तिकर्त्ता का मार्ग आलमनगर से खगड़िया है।	
23	16	BR09GB-9009 (13.05.2022) श्री आशीष कुमार रंजन, पिता–विजय सिंह, पता–पन्हास, सुहिद्रनगर, जिला–बेगुसराय।	प्रकाशन–29.07.25 अधिसूचित मार्ग संख्या–213 बेगुसराय से हसनपुर। भाया–मंझौल, सकरा, गढ़पुरा एवं मालीपुर। ट्रिप–02 (02 अप 02 डाउन)	टैक्स–19.10.25 फिटनेश–13.08.26 बीमा–28.05.26 प्रदूषण–24.07.26	अप्राप्त	आपत्ति अप्राप्त रहने की स्थिति मे परमिट आवेदन को स्वीकृत किया जाता है।
24	17	BR34P-6398 (07.02.2023) श्री कृष्ण मोहन पिता–श्री दिनेश प्रसाद मिश्रा, पता–फुलवरिया, डयोढ़ी, जिला–खगड़िया।	प्रकाशन–29.07.25 अधिसूचित मार्ग संख्या–3045 डाउन खगड़िया से आलमनगर। भाया–महेशखूँट, सोनवर्षाघाट एवं बेलदौर। ट्रिप–03 (03 अप 03 डाउन)	टैक्स–20.10.25 फिटनेश–06.02.27 बीमा–30.01.26 प्रदूषण–03.02.26	➢ आपत्तिकर्त्ता ब्रजेश कुमार सिंह, वाहन सं0–**BR10PA-7691** का कहना है कि आवेदनकर्त्ता द्वारा किये गये प्रस्तावित समय–सारणी मेरे प्रस्तावित समय–सारणी से टकराव है, जो निम्न है:– आपत्तिकर्त्ता आवेदनकर्त्ता खगड़िया 03:35 03:34 महेशखूंट 04:25 04:25 आवेदनकर्त्ता एवं आपत्तिकर्त्ता के समय–सारणी खगड़िया में खगड़िया में 01 मिनट का अन्तराल तथा महेशखूंट में **Same** समय है। आवेदनकर्त्ता एवं आपत्तिकर्त्ता का मार्ग खगड़िया से आलमनगर है।	➢ आपत्तिकर्त्ता द्वारा अपने आवेदित समय–सारणी, जो क्रम संख्या–16 पर उपस्थापित है, से आपत्ति की गई है। आपत्तिकर्त्ता आवेदन करने के क्रम में आवेदनकर्त्ता से वरीय हैं, जिसके समय–सारणी से मुख्य बिन्दु खगड़िया में प्रस्थान समय 03:34 पर एवं मध्य बिन्दु महेशखूंट में प्रस्थान समय 04:25 पर टकराव है। आपत्तिकर्त्ता को अगली बैठक में संशोधित समय–सारणी समर्पित करने हेतु एक मौका देने का प्रस्ताव है। अतएव आपत्तिकर्त्ता के परमिट आवेदन पर निर्णय के उपरान्त ही आवेदनकर्त्ता के परमिट आवेदन पर विचार किया जायेगा।

MEETING HELD ON 12-08-2025

25	18	BR34P-6399 (07.02.2023) श्री कृष्ण मोहन पिता–श्री दिनेश प्रसाद मिश्रा, पता–फुलवरिया, ड्योढ़ी, जिला–खगड़िया।	प्रकाशन–29.07.25 अधिसूचित मार्ग संख्या–3045 आलमनगर से खगड़िया। भाया–बेलदौर, सोनवर्षाघाट, उसराहा(इसराहा) एवं महेशखूंट। ट्रिप–03 (03 अप 03 डाउन)	टैक्स–20.10.25 फिटनेश–06.02.27 बीमा–30.01.26 प्रदूषण–03.02.26	अप्राप्त	आपत्ति अप्राप्त रहने की स्थिति में परमिट आवेदन को स्वीकृत किया जाता है।
26	19	BR09PA-9165 (06.06.2024) श्री अजीत कुमार पिता–रामनंदन सिंह, पता–पहसारा, जिला–बेगुसराय।	प्रकाशन–29.07.25 अधिसूचित मार्ग संख्या–3225 डाउन बेगुसराय से भागलपुर रे०स्टे०। भाया–बलिया, खगड़िया, मानसी, महेशखूँट, पसराहा, नारायणपुर, थाना बिहपुर, नौगछिया जीरोमाईल एवं भागलपुर जीरोमाईल। ट्रिप–02 (02 अप 02 डाउन)	टैक्स–05.09.25 फिटनेश–05.06.26 बीमा–07.05.26 प्रदूषण–05.06.26	अप्राप्त	आपत्ति अप्राप्त रहने की स्थिति में परमिट आवेदन को स्वीकृत किया जाता है।
27	20	BR34P-6292 (12.05.2022) श्री कृष्ण मोहन पिता–श्री दिनेश प्रसाद मिश्रा, पता–फुलवरिया, ड्योढ़ी, जिला–खगड़िया।	प्रकाशन–29.07.25 अधिसूचित मार्ग संख्या–3045 आलमनगर से खगड़िया। भाया–बेलदौर, सोनवर्षाघाट, उसराहा(इसराहा) एवं महेशखूंट। ट्रिप–03 (03 अप 03 डाउन)	टैक्स–10.10.25 फिटनेश–21.08.26 बीमा–27.06.26 प्रदूषण–24.07.26	➢ आपत्तिकर्त्ता ब्रजेश कुमार सिंह, वाहन सं0–**BR10P-7404** का कहना है कि आवेदनकर्त्ता द्वारा किये गये प्रस्तावित समय–सारणी मेरे निर्गत समय–सारणी से टकराव है, जो निम्न है:– आपत्तिकर्त्ता आवेदनकर्त्ता आलमनगर 16:50 16:49 आलमनगर में 01 मिनट का अन्तराल है। आवेदनकर्त्ता का मार्ग आलमनगर से खगड़िया है तथा आपत्तिकर्त्ता का मार्ग खगड़िया से आलमनगर है।	➢ आपत्तिकर्त्ता बिना प्रतिहस्ताक्षर कराये परमिट से आपत्ति की है, जबकि परमिट वर्ष–2021 में ही निर्गत है। अतएव बिना प्रतिहस्ताक्षर कराये परमिट से आपत्ति करने की स्थिति में आपत्तिकर्त्ता की आपत्ति को खारिज कर आवेदनकर्त्ता के परमिट आवेदन को स्वीकृत किया जाता है।
28	21	BR09PA-9826 (05.03.2025) श्री अजीत कुमार पिता–रामनंदन सिंह, पता–पहसारा, जिला–बेगुसराय।	प्रकाशन–29.07.25 अधिसूचित मार्ग संख्या–3225 भागलपुर रे०स्टे० से बेगुसराय। भाया–भागलपुर डीपो, भागलपुर जीरोमाईल, नौगछिया जीरोमाईल, थाना बिहपुर, नारायणपुर, पसराहा, महेशखूँट, मानसी, खगड़िया एवं बलिया। ट्रिप–02 (02 अप 02 डाउन)	टैक्स–26.08.25 फिटनेश–04.03.27 बीमा–02.04.26 प्रदूषण–04.03.26	अप्राप्त	आपत्ति अप्राप्त रहने की स्थिति में परमिट आवेदन को स्वीकृत किया जाता है।
29	22	BR19F-3789 (18.06.2013) श्री अखिलेश मिश्रा, पिता–श्री दिनेश प्रसाद मिश्रा, पता–फुलवरिया, बेलदौर, जिला–खगड़िया।	प्रकाशन–29.07.25 अधिसूचित मार्ग संख्या–3045 आलमनगर से खगड़िया। भाया–बेलदौर, सोनवर्षाघाट, उसराहा(इसराहा) एवं महेशखूंट। ट्रिप–03 (03 अप 03 डाउन)	टैक्स–17.09.25 फिटनेश–09.01.26 बीमा–24.07.26 प्रदूषण–20.11.25	अप्राप्त	➢ आवेदनकर्त्ता द्वारा एक आवेदन समर्पित किया गया है जिसमें आलमनगर में 18:40 पर उनके भाई की पत्नी के वाहन सं0–**BR34P-6401** से टकराव है। इसलिए वह आलमनगर में प्रस्थान समय 18:40 के स्थान पर 18:32 संशोधित करना चाहते हैं। उपरोक्त आलोक में इस शर्त के साथ परमिट आवेदन की स्वीकृति दी जाती है कि आवेदनकर्त्ता इस आशय का शपथ पत्र तत्काल समर्पित करेंगे कि उपर्युक्त

MEETING HELD ON 12-08-2025

						संशोधित समय पर एक सप्ताह के अन्दर टकराव संबंधी आपत्ति प्राप्त होती है और यदि टकराव पाया जाता है तो परमिट आवेदन अस्वीकृत कर दिया जायेगा तथा वाहन की आयु 15 वर्ष पूर्ण होने के पूर्व आवेदनकर्त्ता परमिट का प्रतिस्थापन अन्य उच्च मॉडल के नये वाहन पर करा लेंगे। अन्यथा वाहन की आयु 15 वर्ष पूर्ण होने के उपरान्त परमिट स्वतः रद्द कर दिया जायेगा। निर्धारित अवधि में आपत्ति अप्राप्त रहने की स्थिति में परमिट निर्गत किया जायेगा। उपरोक्त संशोधन के समय पर यदि किन्ही वाहन स्वामी का टकराव होता है तो एक सप्ताह के अन्दर नियमानुसार आपत्ति समर्पित कर सकते है। निर्धारित अवधि के बाद आपत्ति स्वीकार नहीं किया जायेगा। आगमन समय पर आपत्ति स्वीकार्य नहीं है।
30	23	BR09PA-9544 (06.11.2024) श्री अमरजीत कुमार पिता–रामनंदन सिंह, पता–पहसारा, बभनगॉवा, नॉवकोठी, जिला–बेगुसराय।	प्रकाशन–29.07.25 अधिसूचित मार्ग संख्या–3225 भागलपुर रे०स्टे० से बेगुसराय। भाया–भागलपुर डीपो, भागलपुर जीरोमाईल, नौगछिया जीरोमाईल, थाना बिहपुर, नारायणपुर, पसराहा, महेशखूँट, मानसी, खगड़िया एवं बलिया। ट्रिप–02 (02 अप 02 डाउन)	टैक्स–29.07.25 फिटनेश–05.11.26 बीमा–04.11.25 प्रदूषण–05.11.25	अप्राप्त	आपत्ति अप्राप्त रहने की स्थिति में परमिट आवेदन को स्वीकृत किया जाता है।
31	24	BR08P-4883 (23.09.2020) श्री बिनय कुमार पिता–कैलाश सिंह, पता–मोहनपुर, मु0, जिला–बेगुसराय।	प्रकाशन–29.07.25 अधिसूचित मार्ग संख्या–169 बिजुलिया से बेगूसराय। भाया–साम्हो, सूर्यगढ़ा, लखीसराय, हथिदाह, बरौनी एवं जीरोमाईल। ट्रिप–02 (02 अप 02 डाउन)	टैक्स–04.09.25 फिटनेश–24.01.26 बीमा–12.01.26 प्रदूषण–24.09.25	अप्राप्त	आपत्ति अप्राप्त रहने की स्थिति में परमिट आवेदन को स्वीकृत किया जाता है।
32	25	BR09PA-9167 (06.06.2024) श्री अमरजीत कुमार पिता–रामनंदन सिंह, पता–पहसारा, जिला–बेगुसराय।	प्रकाशन–29.07.25 अधिसूचित मार्ग संख्या–3225 भागलपुर रे०स्टे० से बेगुसराय। भाया–भागलपुर डीपो, भागलपुर जीरोमाईल, नौगछिया जीरोमाईल, थाना बिहपुर, नारायणपुर, पसराहा, महेशखूँट, मानसी, खगड़िया एवं बलिया। ट्रिप–02 (02 अप 02 डाउन)	टैक्स–05.09.25 फिटनेश–05.06.26 बीमा–14.04.26 प्रदूषण–04.06.26	अप्राप्त	आपत्ति अप्राप्त रहने की स्थिति में परमिट आवेदन को स्वीकृत किया जाता है।

33	26	BR06PF-1249 (18.03.2021) श्री नित्यानंद सिंह, पिता–रामधन सिंह, पता–गोरगामा, गुरगावन, जिला–बेगुसराय।	प्रकाशन–29.07.25 अधिसूचित मार्ग संख्या–3225 डाउन बेगुसराय से भागलपुर रे0स्टे0। भाया–बलिया, खगड़िया, मानसी, महेशखूँट, पसराहा, नारायणपुर, थाना बिहपुर, नौगछिया जीरोमाईल एवं भागलपुर जीरोमाईल। ट्रिप–02 (02 अप 02 डाउन)	टैक्स–17.09.25 फिटनेश–02.05.27 बीमा–28.04.26 प्रदूषण–10.05.26	➢ आपत्तिकर्त्ता पिंकेश कुमार सिंह, वाहन सं0–**BR09M-3171** का कहना है कि आवेदनकर्त्ता द्वारा किये गये प्रस्तावित समय–सारणी मेरे निर्गत समय–सारणी से टकराव है, जो निम्न है:– आपत्तिकर्त्ता आवेदनकर्त्ता खगड़िया 10:29 10:28 आपत्तिकर्त्ता खगड़िया प्रस्थान 10:29 समय–सारणी पर पाँच वर्ष पूर्व से वाहन का परिचालन कर रहे हैं। आवेदनकर्त्ता आर्थिक क्षति पहुँचाने के उद्येश्य से खगड़िया में आपत्तिकर्त्ता के समय–सारणी के एक मिनट पहले का आवेदन किये हैं। प्राधिकार के नियम के अनुसार दोनों वाहन के समय–सारणी में पाँच मिनट का अन्तराल होना चाहिए। आवेदनकर्त्ता दो अप दो डाउन परमिट का आवेदन किये है, जबकि आवेदनकर्त्ता एक अप डाउन ही वाहन का परिचालन मार्ग पर करते हैं। चार अप डाउन का समय–सारणी जानबूझकर आवेदनकर्त्ता किये हैं ताकि अन्य वाहन स्वामी उक्त समय–सारणी पर परमिट का आवेदन नहीं कर सकें। आवेदनकर्त्ता का मार्ग बेगूसराय से भागलपुर रेलवे स्टेशन है तथा आपत्तिकर्त्ता का मार्ग कबेला से बेगूसराय है।	➢ आपत्तिकर्त्ता पिंकेश कुमार सिंह, वाहन सं0–**BR09M-3171** का निर्गत परमिट से आवेदनकर्त्ता के समय–सारणी से मध्य बिन्दु खगड़िया में प्रस्थान समय 10:28 पर टकराव है। आवेदनकर्त्ता के तरफ से श्री सुधीर कुमार द्वारा शपथ–पत्र के साथ एक आवेदन समर्पित किया गया है जिसमें उनके द्वारा यह उल्लेख किया गया है कि आपत्तिकर्त्ता द्वारा मार्ग भिन्न होने के कारण इनके वाहन से एक मिनट आगे परमिट प्राप्त किया गया है। एन0एच –31 होने के चलते खगड़िया में गाड़ी का अत्यधिक दबाब रहता है। जिस कारण समय का अंतराल नहीं रह पाता है। उनके द्वारा 10:22 से 10:33 के बीच आवेदित वाहन सहित पांच वाहनों के समय–सारणी की सूची दी गई है एवं उचित निर्णय लेने का अनुरोध किया गया है। सूची के अनुसार क्रमशः 10:22, 10:25, 10:29 एवं 10:33 का समय अन्य वाहनों को आवंटित है। चूँकि दो वाहनों के बीच वर्तमान में प्राधिकार द्वारा प्रस्थान समय में पाँच मिनट का अन्तराल रखने का निर्णय लिया गया है। अतएव आवेदनकर्त्ता को आपत्तिकर्त्ताओं के समय–सारणी से उक्त टकराव के बिन्दु पर अगली बैठक में संशोधित समय–सारणी समर्पित करने हेतु एक मौका दिया जाता है। अगली बैठक में संशोधित समय सारणी समर्पित नहीं करने अथवा संशोधन के बिन्दु पर पुनः किसी वाहन के समय सारणी से टकराव होने पर परमिट आवेदन अस्वीकृत कर दिया जायेगा।
34	27	BR09PA-9163 (06.06.2024) श्रीमती सुनीता देवी पति–श्री सुधीर कुमार पता–पहसारा, जिला–बेगुसराय।	प्रकाशन–29.07.25 अधिसूचित मार्ग संख्या–3225 डाउन बेगुसराय से भागलपुर रे0स्टे0। भाया–बलिया, खगड़िया, मानसी, महेशखूँट, पसराहा, नारायणपुर, थाना बिहपुर, नौगछिया जीरोमाईल एवं भागलपुर जीरोमाईल। ट्रिप–02 (02 अप 02 डाउन)	टैक्स–05.09.25 फिटनेश–05.06.26 बीमा–24.05.26 प्रदूषण–04.06.26	➢ आपत्तिकर्त्ता अंकज कुमार, वाहन सं0–**BR08P-5564** का कहना है कि आवेदनकर्त्ता द्वारा किये गये प्रस्तावित समय–सारणी मेरे निर्गत समय–सारणी से टकराव है, जो निम्न है:– आपत्तिकर्त्ता आवेदनकर्त्ता खगड़िया प्र0 07:23 07:25 पसराहा आ0 08:20 08:20 प्र0 08:25 08:24 भागलपुर डीपो से भागलपुर रेलवे स्टेशन के बीच की दूरी आवेदनकर्त्ता 08 मिनट एवं 10 मिनट में तय करते हैं। भागलपुर डीपो से रेलवे स्टेशन का क्षेत्र नो इन्ट्रीजोन है। जाम के कारण भागलपुर डीपो से भागलपुर रेलवे स्टेशन के बीच की दूरी 8 एवं 10 मिनट में तय नहीं किया जा सकता है। आवेदनकर्त्ता गतिसीमा का उल्लंघन कर रहे हैं। आवेदनकर्त्ता एवं आपत्तिकर्त्ता का मार्ग बेगूसराय से भागलपुर रेलवे स्टेशन ही है।	➢ आपत्तिकर्त्ता अंकज कुमार, वाहन सं0–**BR08P-5564** का निर्गत परमिट से आवेदनकर्त्ता के समय–सारणी में मध्य बिन्दु खगड़िया से पीछे प्रस्थान करती है। इस बिन्दु पर आपत्ति मान्य नहीं है। पसराहा में प्रस्थान समय में 08:24 पर टकराव है। आवेदनकर्त्ता श्रीमती सुनिता देवी की तरफ से श्री सुधीर कुमार द्वारा शपथ–पत्र के साथ एक आवेदन समर्पित किया गया है, जिसमें उनके द्वारा पसराहा में प्रस्थान समय 08:24 के स्थान पर आपत्तिकर्त्ता से पीछे 08:26 एवं नारायणपुर में गति–सीमा का उल्लंघन होने के कारण आगमन समय 08:40 के स्थान पर 08:42 संशोधित करने का अनुरोध किया गया है। उपरोक्त आलोक में इस शर्त के साथ परमिट आवेदन की स्वीकृति दी जाती है कि उपर्युक्त संशोधित समय पर एक सप्ताह के अन्दर टकराव संबंधी आपत्ति प्राप्त होती है और यदि टकराव पाया जाता है तो परमिट आवेदन अस्वीकृत कर दिया जायेगा। निर्धारित अवधि में आपत्ति अप्राप्त रहने की स्थिति में परमिट निर्गत किया जायेगा। उपरोक्त संशोधन के समय पर यदि किन्ही वाहन स्वामी का टकराव होता है

MEETING HELD ON 12.09.2025

					तो एक सप्ताह के अन्दर नियमानुसार आपत्ति समर्पित कर सकते है। निर्धारित अवधि के बाद आपत्ति स्वीकार नहीं किया जायेगा। आगमन समय पर अपत्ति स्वीकार्य नहीं है।
35	28	BR09PA-8163 (06.04.2023) श्री अमरजीत कुमार पिता–रामनंदन सिंह, पता–पहसारा, जिला–बेगुसराय।	प्रकाशन–29.07.25 अधिसूचित मार्ग संख्या–3225 डाउन बेगुसराय से भागलपुर रे0स्टे0। भाया–बलिया, खगड़िया, मानसी, महेशखूँट, पसराहा, नारायणपुर, थाना बिहपुर, नौगछिया जीरोमाईल एवं भागलपुर जीरोमाईल। ट्रिप–02 (02 अप 02 डाउन)	टैक्स–04.10.25 फिटनेश–05.04.27 बीमा–20.05.26 प्रदूषण–10.06.26	अप्राप्त	आपत्ति अप्राप्त रहने की स्थिति में परमिट आवेदन को स्वीकृत किया जाता है।
36	29	BR09PA-9827 (05.03.2025) श्री मनीष कुमार सिंह, पिता–विद्यासागर सिंह, पता–गोरगामा, नयागॉव, जिला–बेगुसराय।	प्रकाशन–29.07.25 अधिसूचित मार्ग संख्या–3225 डाउन बेगुसराय से भागलपुर रे0स्टे0। भाया–बलिया, खगड़िया, मानसी, महेशखूँट, पसराहा, नारायणपुर, थाना बिहपुर, नौगछिया जीरोमाईल एवं भागलपुर जीरोमाईल। ट्रिप–02 (02 अप 02 डाउन)	टैक्स–26.08.25 फिटनेश–04.03.27 बीमा–27.02.26 प्रदूषण–04.03.26	➢ आपत्तिकर्त्ता अंकज कुमार, वाहन सं0–**BR09PA-6805** का कहना है कि आवेदनकर्त्ता द्वारा किये गये प्रस्तावित समय–सारणी मेरे वाहन के प्रस्तावित समय–सारणी से टकराव है, जो निम्न है:– आवेदनकर्त्ता आपत्तिकर्त्ता बेगूसराय प्र0 14:10 14:07 बलिया आ0 14:40 14:37 प्र0 14:45 14:45 खगड़िया आ0 15:20 15:23 प्र0 15:35 15:35 मानसी आ0 15:45 15:45 प्र0 15:50 15:50 महेशखूंट आ0 16:05 16:05 प्र0 16:16 16:15 पसराहा आ0 16:32 16:31 प्र0 16:36 16:34 नारायणपुर आ0 16:52 16:50 प्र0 16:56 16:53 थाना बिहपुर आ0 17:08 17:05 प्र0 17:12 17:10 नौगछिया जी0मा0 आ0 17:28 17:30 प्र0 17:32 17:35 भागलपुर जी0मा0 आ0 17:56 17:59 प्र0 18:00 18:00 भागलपुर डीपो आ0 18:06 18:08 प्र0 18:06 18:08 आवेदनकर्त्ता आवेदन करने के क्रम में वरीय है। आवेदनकर्त्ता एवं आपत्तिकर्त्ता का मार्ग बेगूसराय से भागलपुर रेलवे स्टेशन ही है।	➢ आवेदनकर्त्ता का बेगूसराय में 14:10, महेशखूंट में 16:16, पसराहा में 16:36, नारायणपुर में 16:56 एवं थाना बिहपुर में 17:12 प्रस्थान समय है जो आपत्तिकर्ता से पीछे का समय है। इन बिन्दुओं पर आपत्ति मान्य नही है। भागलपुर डीपो में किसी भी निजी वाहन का ठहराव नहीं है। इस बिन्दु पर भी आपत्ति मान्य नहीं है। बलिया में 14:45, खगड़िया में 15:35, मानसी में 15:50, नौगछिया जीरो माईल में 17:32 एवं भागलपुर जीरो माईल में 18:00 बजे पर टकराव है। श्री मनीष कुमार सिंह के तरफ से श्री सुधीर कुमार द्वारा शपथ–पत्र के साथ एक आवेदन समर्पित किया गया है, जिसमें टकराव के बिन्दुओं पर गतिसीमा को ध्यान में रखते हुए निम्न संशोधन करने का अनुरोध किया गया है– पड़ाव का नाम आ0 समय प्र0 समय बलिया – 14:47 खगड़िया – 15:37 मानसी – 15:52 महेशखूंट 16:08 16:20 पसराहा 16:36 16:38 नारायणपुर 16:54 – नौगछिया जी0मा0 – 17:30 भागलपुर जी0मा0 17:53 17:55 भागलपुर डीपो 18:05 18:05 उपरोक्त आलोक में इस शर्त के साथ परमिट आवेदन की स्वीकृति दी जाती है कि उपर्युक्त संशोधित समय पर एक सप्ताह के अन्दर टकराव संबंधी आपत्ति प्राप्त होती है और यदि टकराव पाया जाता है तो परमिट आवेदन अस्वीकृत कर दिया जायेगा। निर्धारित अवधि में आपत्ति अप्राप्त रहने की स्थिति में परमिट निर्गत किया जायेगा। उपरोक्त संशोधन के समय भागलपुर डिपो को छोड़कर यदि किन्ही वाहन स्वामी का टकराव होता है तो एक सप्ताह के अन्दर नियमानुसार आपत्ति समर्पित कर सकते है। निर्धारित अवधि के बाद आपत्ति स्वीकार नहीं किया जायेगा। आगमन समय पर अपत्ति

MEETING HELD ON 12-08-2025

						स्वीकार्य नहीं है।
37	30	BR09PA-9206 (25.06.2024) श्रीमती कुमकुम देवी पति–श्री अजीत कुमार पता–पहसारा, जिला–बेगुसराय।	प्रकाशन–29.07.25 अधिसूचित मार्ग संख्या–3225 भागलपुर रे0स्टे0 से बेगुसराय। भाया–भागलपुर डीपो, भागलपुर जीरोमाईल, नौगछिया जीरोमाईल, थाना बिहपुर, नारायणपुर, पसराहा, महेशखूँट, मानसी, खगड़िया एवं बलिया। ट्रिप–02 (02 अप 02 डाउन)	टैक्स–24.09.25 फिटनेश–24.06.26 बीमा–28.04.26 प्रदूषण–27.06.26	➢ प्रथम आपत्तिकर्त्ता श्री संजय कुमार (**B.S.R.T.C.**), वाहन सं0–**BR09PA-8766** का कहना है कि आवेदनकर्त्ता द्वारा किये गये प्रस्तावित समय–सारणी मेरे वाहन के निर्गत समय–सारणी से टकराव है, जो निम्न है:– आपत्तिकर्त्ता आवेदनकर्त्ता खगड़िया 17:44 17:40 बलिया 18:25 18:21 आवेदनकर्त्ता के मध्य बिन्दु में 05 मिनट का अन्तराल नहीं है, जो प्राधिकार के नियम के विरूद्ध है। ➢ द्वितीय आपत्तिकर्त्ता श्री राज कुमार, वाहन सं0–**BR09PA-6807** का कहना है कि आवेदनकर्त्ता द्वारा किये गये प्रस्तावित समय–सारणी मेरे वाहन के निर्गत समय–सारणी से टकराव है, जो निम्न है:– आपत्तिकर्त्ता आवेदनकर्त्ता थाना बिहपुर प्र0 16:10 16:07 दोनों वाहन के समय–सारणी में टकराव है। भागलपुर डीपो से रेलवे स्टेशन का क्षेत्र नो इन्ट्रीजोन है। जाम के कारण भागलपुर डीपो से भागलपुर रेलवे स्टेशन के बीच की दूरी 8 एवं 10 मिनट में तय नहीं किया जा सकता है। ➢ तृतीय आपत्तिकर्त्ता श्री संजय कुमार, वाहन सं0–**BR06PF-6809** का कहना है कि आवेदनकर्त्ता द्वारा किये गये प्रस्तावित समय–सारणी मेरे वाहन के निर्गत समय–सारणी से टकराव है, जो निम्न है:– आपत्तिकर्त्ता आवेदनकर्त्ता महेशखूंट प्र0 06:45 06:42 दोनों वाहन के समय–सारणी में टकराव है। आवेदनकर्त्ता भागलपुर डीपो से भागलपुर रेलवे स्टेशन की दूरी 08 एवं 10 मिनट में तय करते हैं। भागलपुर डीपो से रेलवे स्टेशन का क्षेत्र नो इन्ट्रीजोन है। जाम के कारण भागलपुर डीपो से भागलपुर रेलवे स्टेशन के बीच की दूरी 8 एवं 10 मिनट में तय नहीं किया जा सकता है। आवेदनकर्त्ता गतिसीमा का उल्लंघन कर रहे हैं। ➢ चतुर्थ आपत्तिकर्त्ता श्री रंजन कुमार, वाहन सं0–**BR09PA-6809** का कहना है कि आवेदनकर्त्ता द्वारा किये गये प्रस्तावित समय–सारणी मेरे वाहन के निर्गत समय–सारणी से टकराव है, जो निम्न है:– आपत्तिकर्त्ता आवेदनकर्त्ता खगड़िया प्र0 07:13 07:11 महेशखूंट प्र0 17:08 17:05 भागलपुर डीपो से रेलवे स्टेशन का क्षेत्र नो इन्ट्रीजोन है तथा भीषण जाम रहता है। आवेदनकर्त्ता भागलपुर डीपो से भागलपुर रेलवे	➢ प्रथम आपत्तिकर्त्ता श्री संजय कुमार (**B.S.R.T.C.**), वाहन सं0–**BR09PA-8766** का निर्गत परमिट का आवेदनकर्त्ता के समय–सारणी से मध्य बिन्दु खगड़िया में प्रस्थान समय 17:40 पर एवं मध्य बिन्दु बलिया में प्रस्थान समय 18:21 पर टकराव है। ➢ द्वितीय आपत्तिकर्त्ता श्री राज कुमार, वाहन सं0–**BR09PA-6807** का निर्गत परमिट का आवेदनकर्त्ता के समय–सारणी से मध्य बिन्दु थाना बिहपुर में प्रस्थान समय 16:07 पर टकराव है। ➢ तृतीय आपत्तिकर्त्ता श्री संजय कुमार, वाहन सं0–**BR06PF-6809** का निर्गत परमिट का आवेदनकर्त्ता के समय–सारणी से मध्य बिन्दु महेशखूंट में प्रस्थान समय 06:42 पर टकराव है। ➢ चतुर्थ आपत्तिकर्त्ता श्री रंजन कुमार, वाहन सं0–**BR09PA-6809** का निर्गत परमिट का आवेदनकर्त्ता के समय–सारणी से मध्य बिन्दु खगड़िया में 07:11 पर एवं मध्य बिन्दु महेशखूंट में प्रस्थान समय 17:05 पर टकराव है। ➢ पंचम आपत्तिकर्त्ता श्री राज कुमार, वाहन सं0–**BR09P-8511** का स्वीकृत परमिट का आवेदनकर्त्ता के समय–सारणी से मध्य बिन्दु भागलपुर जीरोमाईल में प्रस्थान समय 04:48 पर एवं मध्य बिन्दु नौगछिया जीरोमाईल में प्रस्थान समय 05:12 पर टकराव है। श्रीमती कुमकुम देवी के तरफ से श्री सुधीर कुमार द्वारा एक आवेदन समर्पित किया गया है, जिसमें उनके द्वारा यह उल्लेख किया गया है कि एन0एच–31 होने के चलते एवं वाहन की अधिकता होने के कारण खगड़िया में पांच मिनट का अंतराल संभव नहीं है। द्वितीय आपत्ति के आलोक में थाना बिहपुर में प्रस्थान समय–16:07 के स्थान पर 16:05, तृतीय आपत्ति के आलोक में महेशखूंट में प्रस्थान समय 06:42 के स्थान पर 06:40, चतुर्थ आपत्ति के आलोक में खगड़िया में प्रस्थान समय 07:11 के स्थान पर 07:14, बलिया में आगमन समय 07:43 व प्रस्थान समय 07:45 एवं महेशखूंट में प्रस्थान समय 17:05 संशोधित करने का अनुरोध किया गया है। साथ ही उनके द्वारा यह भी कहा गया है कि वाहन संख्या–**BR09PA-6809** का महेशखूंट में प्रस्थान समय 17:10 है न कि 17:08। इस संबंध में कार्यालय स्तर से इसकी जाँच की गई तो पाया गया कि वाहन संख्या–**BR09PA-6809** का मूल परमिट में महेशखूंट में प्रस्थान समय–17:10 है जिसे 17:08 संशोधन करने की स्वीकृति प्रदान की गई है परन्तु विभागीय स्तर से संशोधन नहीं किया गया है। वर्त्तमान में वाहन का प्रस्थान समय–17:10 ही है

MEETING HELD ON 12.08.25

					स्टेशन के बीच की दूरी 8 एवं 10 मिनट में तय करते हैं। आवेदनकर्त्ता गतिसीमा का उल्लंघन कर रहे हैं। ➢ पंचम आपत्तिकर्त्ता श्री राज कुमार, वाहन सं0–**BR09P-8511** का कहना है कि आवेदनकर्त्ता द्वारा किये गये प्रस्तावित समय–सारणी मेरे वाहन के निर्गत समय–सारणी से टकराव है, जो निम्न है:– आपत्तिकर्त्ता आवेदनकर्त्ता भागलपुर जीरोमाईल प्र0 04:50 04:48 नौगछिया जीरोमाईल प्र0 05:15 05:12 दोनों वाहन के समय–सारणी में टकराव है। आवेदनकर्त्ता भागलपुर डीपो से भागलपुर रेलवे स्टेशन के बीच की दूरी 8 एवं 10 मिनट में तय करते हैं। भागलपुर डीपो से रेलवे स्टेशन का क्षेत्र नो इन्ट्री रहता है तथा भीषण जाम के कारण भागलपुर डीपो से भागलपुर रेलवे स्टेशन के बीच की दूरी 8 एवं 10 मिनट में तय नहीं किया जा सकता है। आवेदनकर्त्ता गतिसीमा का उल्लंघन कर रहे हैं। आवेदनकर्त्ता का मार्ग भागलपुर रेलवे स्टेशन से बेगूसराय है तथा प्रथम आपत्तिकर्त्ता का मार्ग बेगूसराय से भागलपुर है एवं द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ एवं पंचम आपत्तिकर्त्ता का मार्ग भागलपुर रेलवे स्टेशन से बेगूसराय है।	और आवेदनकर्त्ता के प्रस्थान समय 17:05 से टकराव नहीं है। श्री सुधीर कुमार के द्वारा यह भी कहा गया कि पंचम आपत्तिकर्त्ता का वाहन संख्या–**BR09P-8511** का आपत्ति सही नहीं है। इस वाहन का परमिट आवेदन दिनांक–30.06. 2025 की बैठक में स्वीकृत किया गया है। जबकि आपत्तिकर्त्ता द्वारा स्वीकृत आवेदन के आलोक में परमिट का उठाव नहीं किया गया है और पूर्व के परमिट से आपत्ति की गई है। चूँकि वाहन सं0–**BR09P-8511** का परमिट आवेदन स्वीकृत है। अतएव पुराने परमिट से आपत्ति खारिज की जाती है। आवेदनकर्त्ता के तरफ से यह भी कहा गया है कि वाहन संख्या–**BR09P-8511** की आयु 11 वर्ष से अधिक हो चुकी है और विभागीय निदेशानुसार 10 से 15 वर्ष की आयु के वाहन को 400 कि0मी0 परिचालन की ही अनुमति हैं। निर्गत परमिट के अनुसार यह वाहन 512 कि0मी0 दूरी का परिचालन करती है। इस वाहन का परमिट निरस्त करते हुए उचित कानूनी कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया है। चूँकि वाहन सं0–**BR09P-8511** की आयु 11 वर्ष हो चुकी है एवं इस वाहन का नया परमिट आवेदन स्वीकृत हो चुका है अतएव पूर्व का परमिट निरस्त किया जाता है। वर्त्तमान स्वीकृत परमिट आवेदन के आलोक में वाहन स्वामी को निदेश दिया जाता है कि एक सप्ताह के अन्दर अन्य उच्च मॉडल के नये वाहन से प्रतिस्थापन करा लिया जाय अन्यथा एक सप्ताह के उपरांत इस परमिट आवेदन को स्वतः अस्वीकृत मानते हुए ऑनलाईन से हटा दिया जायेगा। चूँकि दो वाहनों के बीच वर्तमान में प्राधिकार द्वारा प्रस्थान समय में पाँच मिनट का अन्तराल रखने का निर्णय लिया गया है और आवेदनकर्त्ता द्वारा कुछ टकराव के बिन्दुओ पर संशोधित समय–सारणी नहीं दी गयी है। अतएव आवेदनकर्त्ता को पंचम आपत्तिकर्त्ता को छोड़कर अन्य सभी आपत्तिकर्त्ताओं के समय–सारणी से टकराव के बिन्दु पर अगली बैठक में संशोधित समय–सारणी समर्पित करने हेतु एक मौका दिया जाता है। अगली बैठक में संशोधित समय सारणी समर्पित नहीं करने अथवा संशोधन के बिन्दु पर पुनः किसी वाहन के समय सारणी से टकराव होने पर परमिट आवेदन अस्वीकृत कर दिया जायेगा।

MEETING HELD ON 12-08-2025

38	31	BR09PA-9783 (14.02.2025) श्रीमती बुलबुल देवी पति–श्री बिनीत कुमार पता–पहसारा, बभनगामां, नॉवकोठी, जिला–बेगुसराय।	प्रकाशन–29.07.25 अधिसूचित मार्ग संख्या–3225 भागलपुर रे०स्टे० से बेगुसराय। भाया–भागलपुर डीपो, भागलपुर जीरोमाईल, नौगछिया जीरोमाईल, थाना बिहपुर, नारायणपुर, पसराहा, महेशखूँट, मानसी, खगड़िया एवं बलिया। ट्रिप–02 (02 अप 02 डाउन)	टैक्स–09.08.25 फिटनेश–13.02.27 बीमा–10.02.26 प्रदूषण–13.02.26	➢ प्रथम आपत्तिकर्त्ता श्री रंजन कुमार, वाहन सं0–**BR09PA-6809** का कहना है कि आवेदनकर्त्ता द्वारा किये गये प्रस्तावित समय–सारणी मेरे वाहन के निर्गत समय–सारणी से टकराव है, जो निम्न है:– आपत्तिकर्त्ता आवेदनकर्त्ता बलिया आ0 09:42 09:40 प्र0 09:47 09:43 खगड़िया आ0 10:17 10:20 प्र0 10:36 10:32 दोनों वाहन के समय–सारणी में खगड़िया एवं बलिया में टकराव है। भागलपुर डीपो से भागलपुर रेलवे स्टेशन का क्षेत्र नो इन्ट्रीजोन है। नो इन्ट्री के कारणी बड़े वाहन का परिचालन भागलपुर डीपो से भागलपुर रेलवे स्टेशन के बीच नहीं होता है। भागलपुर रेलवे स्टेशन से आवेदनकर्त्ता 04:30 में प्रस्थान कर 04:40 में भागलपुर डीपो आगमन करते हैं। पुनः भागलपुर डीपो से 13:10 में प्रस्थान कर भागलपुर रेलवे स्टेशन 13:20 में पहुँचते हैं। भागलपुर रेलवे स्टेशन से 13:40 में प्रस्थान कर भागलपुर डीपो 13:50 में तथा भागलपुर डीपो से 22:10 में प्रस्थान कर भागलपुर रेलवे स्टेशन 22:20 में आगमन करते हैं। भागलपुर रेलवे स्टेशन से भागलपुर डीपो के बीच हमेशा रोड पर जाम लगा रहता है। इस प्रकार भागलपुर डीपो से भागलपुर रेलवे स्टेशन के बीच की दूरी 10 मिनट में तय नहीं किया जा सकता है। आवेदनकर्त्ता गतिसीमा का उल्लंघन कर रहे हैं। ➢ द्वितीय आपत्तिकर्त्ता श्रीमती कुमकुम कुमारी, वाहन सं0–**BR08P-5489** का कहना है कि आवेदनकर्त्ता द्वारा किये गये प्रस्तावित समय–सारणी मेरे वाहन के निर्गत समय–सारणी से टकराव है, जो निम्न है:– आपत्तिकर्त्ता आवेदनकर्त्ता थाना बिहपुर आ0 05:40 05:41 प्र0 05:43 05:42 नारायणपुर आ0 05:56 05:54 प्र0 05:58 05:58 पसराहा आ0 06:15 06:16 प्र0 06:18 06:20 खगड़िया आ0 07:25 07:20 प्र0 07:28 07:24 बलिया आ0 08:03 07:58 प्र0 08:08 08:04 दोनों वाहन के समय–सारणी में टकराव है। भागलपुर डीपो से रेलवे स्टेशन का क्षेत्र नो इन्ट्री है। जाम के कारण भागलपुर डीपो से भागलपुर रेलवे स्टेशन के बीच की दूरी 8 एवं 10 मिनट में तय नहीं किया जा सकता है।आवेदनकर्त्ता गतिसीमा का उल्लंघन कर रहे हैं।	➢ प्रथम आपत्तिकर्त्ता श्री रंजन कुमार, वाहन सं0–**BR09PA-6809** का निर्गत परमिट का आवेदनकर्त्ता के समय–सारणी से मध्य बिन्दु बलिया में 09:43 पर एवं मध्य बिन्दु खगड़िया में प्रस्थान समय 10:32 पर टकराव है। ➢ द्वितीय आपत्तिकर्त्ता श्रीमती कुमकुम कुमारी, वाहन सं0–**BR08P-5489** का निर्गत परमिट का आवेदनकर्त्ता के समय–सारणी से मध्य बिन्दु थाना बिहपुर में प्रस्थान समय 05:42 पर, मध्य बिन्दु नारायणपुर में प्रस्थान समय 05:58 पर, मध्य बिन्दु खगड़िया में प्रस्थान समय 07:24 पर एवं मध्य बिन्दु बलिया में प्रस्थान समय 08:04 पर टकराव है। पसराहा में आवेदनकर्त्ता आपत्तिकर्ता से पीछे प्रस्थान करती है। इस बिन्दु पर आपत्ति मान्य नहीं है। श्रीमती बुलबुल देवी के तरफ से श्री सुधीर कुमार द्वारा शपथ पत्र के साथ एक आवेदन समर्पित किया गया है, जिसमें उनके द्वारा कहा गया है कि वाहन संख्या– **BR09PA-9783** के आवेदित समय–सारणी से प्रथम एवं द्वितीय ट्रिप पर आपत्ति किया गया है, जबकि इस वाहन के वर्तमान परमिट के अनुरूप ही आवेदन किया गया है। तृतीय एवं चतुर्थ ट्रिप नया है, परन्तु इस पर आपत्ति नहीं है। अतएव आपत्ति खारिज करने का अनुरोध किया गया हैं। उपरोक्त आलोक में प्राधिकार इस निष्कर्ष पर पहुँचती है कि आवेदनकर्त्ता को प्रथम एवं द्वितीय ट्रिप के इसी समय–सारणी पर आवेदित वाहन के परिचालन हेतु पूर्व से परमिट प्राप्त है। अतएव इस समय–सारणी पर आपत्ति का औचित्य प्रतीत नहीं होता है। तृतीय एवं चतुर्थ ट्रिप का समय–सारणी नया है, परन्तु इस पर कोई आपत्ति नहीं की गई है। अतएव परमिट आवेदन स्वीकृत किया जाता है।

					आवेदनकर्त्ता तथा प्रथम एवं द्वितीय आपत्तिकर्त्ता का मार्ग भागलपुर रेलवे स्टेशन से बेगूसराय ही है।	
39	32	BR09PA-9168 (06.04.2024) श्री रंजीत कुमार पिता–रामनंदन सिंह, पता–पहसारा, जिला–बेगुसराय।	प्रकाशन–29.07.25 अधिसूचित मार्ग संख्या–3225 डाउन बेगुसराय से भागलपुर रे०स्टे०। भाया–बलिया, खगड़िया, मानसी, महेशखूँट, पसराहा, नारायणपुर, थाना बिहपुर, नौगछिया जीरोमाईल एवं भागलपुर जीरोमाईल। ट्रिप–02 (02 अप 02 डाउन)	टैक्स–05.09.25 फिटनेश–05.06.26 बीमा–21.04.26 प्रदूषण–04.06.26	➢ प्रथम आपत्तिकर्त्ता श्री अंकज कुमार, वाहन सं०–**BR09PA-6655** का कहना है कि आवेदनकर्त्ता द्वारा किये गये प्रस्तावित समय–सारणी मेरे वाहन के निर्गत समय–सारणी से टकराव है, जो निम्न है:– आपत्तिकर्त्ता आवेदनकर्त्ता बलिया आ० 13:10 13:10 प्र० 13:15 13:15 दोनों वाहन के समय–सारणी के बलिया में टकराव है। आवेदनकर्त्ता का वाहन भागलपुर डीपो से भागलपुर रेलवे स्टेशन की दूरी 08 मिनट में तय करती है। भागलपुर डीपो से भागलपुर रेलवे स्टेशन का क्षेत्र नो इन्ट्रीजोन है। जाम की समस्या रहने के कारण भागलपुर डीपो से भागलपुर रेलवे स्टेशन की दूरी 08 मिनट में तय नहीं किया जा सकता है। आवेदनकर्त्ता गतिसीमा का उल्लंघन कर रहे हैं। ➢ द्वितीय आपत्तिकर्त्ता अंकज कुमार, वाहन सं०–**BR09PA-6805** का कहना है कि आवेदनकर्त्ता द्वारा किये गये प्रस्तावित समय–सारणी मेरे वाहन के प्रस्तावित समय–सारणी से टकराव है, जो निम्न है:– आपत्तिकर्त्ता आवेदनकर्त्ता नौगछिया जी०मा० आ० 07:01 06:56 प्र० 07:02 06:58 भागलपुर जी०मा० आ० 07:22 07:20 प्र० 07:23 07:22 भागलपुर डीपो आ० 07:28 07:28 प्र० 07:28 07:28 भागलपुर जी०मा० आ० 07:56 08:10 प्र० 08:13 08:14 नौगछिया जी०मा० आ० 08:38 08:40 प्र० 08:46 08:46 थाना बिहपुर आ० 09:02 09:03 प्र० 09:05 09:07 भागलपुर डीपो से भागलपुर रेलवे स्टेशन के बीच की दूरी 8 एवं 10 मिनट में तय कर रहे हैं। भागलपुर डीपो से भागलपुर रेलवे स्टेशन का क्षेत्र नो इन्ट्री है। जाम के कारण भागलपुर डीपो से भागलपुर रेलवे स्टेशन के बीच की दूरी 8 मिनट में तय नहीं कर सकती है। आवेदनकर्त्ता गतिसीमा का उल्लंघन कर रहे हैं। आवेदनकर्त्ता तथा प्रथम एवं द्वितीय आपत्तिकर्त्ता का मार्ग का मार्ग बेगूसराय से भागलपुर रेलवे स्टेशन ही है।	➢ प्रथम आपत्तिकर्त्ता श्री अंकज कुमार, वाहन सं०–**BR09PA-6655** के निर्गत परमिट का आवेदनकर्त्ता के समय–सारणी से मध्य बिन्दु बलिया में प्रस्थान समय 13:15 पर टकराव है। ➢ द्वितीय आपत्तिकर्त्ता अंकज कुमार, वाहन सं०–**BR09PA-6805** का आवेदन–कर्त्ता के समय–सारणी से मध्य बिन्दु नौगछिया जीरो माईल में प्रस्थान समय 06:58 एवं 08:46 पर, मध्य बिन्दु भागलपुर जीरोमाईल में प्रस्थान समय 07:22 पर, एवं मध्य बिन्दु भागलपुर जीरोमाईल में प्रस्थान समय 08:14 पर टकराव है। थाना बिहपुर में आवेदनकर्त्ता पीछे प्रस्थान करती है। इस बिन्दु पर आपत्ति मान्य नहीं है। श्री रंजीत कुमार के तरफ से श्री सुधीर कुमार द्वारा शपथ पत्र के साथ एक आवेदन समर्पित किया गया है, जिसमें उनके द्वारा कहा गया है कि वाहन संख्या–**BR09PA-9168** के द्वारा यह उल्लेख किया गया है कि गतिसीमा का उल्लंघन न हो इसके चलते आगमन एवं प्रस्थान बिन्दु पर संशोधन करना पड़ा है। पड़ाव का नाम आ० समय प्र० समय बलिया – 13:17 नौगछिया जी०मा० – 06:57 भागलपुर जी०मा० 07:20 07:24 भागलपुर डीपो 07:32 07:32 नौगछिया जी०मा० 08:38 08:41 उपरोक्त आलोक में इस शर्त के साथ परमिट आवेदन की स्वीकृति दी जाती है कि उपर्युक्त संशोधित समय पर एक सप्ताह के अन्दर टकराव संबंधी आपत्ति प्राप्त होती है और यदि टकराव पाया जाता है तो परमिट आवेदन अस्वीकृत कर दिया जायेगा। निर्धारित अवधि में आपत्ति अप्राप्त रहने की स्थिति में परमिट निर्गत किया जायेगा। उपरोक्त संशोधन के समय पर यदि किन्ही वाहन स्वामी का टकराव होता है तो एक सप्ताह के अन्दर नियमानुसार आपत्ति समर्पित कर सकते है। निर्धारित अवधि के बाद आपत्ति स्वीकार नहीं किया जायेगा। आगमन समय पर अपत्ति स्वीकार्य नहीं है।

40	33	BR09PA-9171 (06.04.2024) श्रीमती बिनीता कुमारी पति–श्री रंजीत कुमार पता–पहसारा, जिला–बेगुसराय।	प्रकाशन–29.07.25 अधिसूचित मार्ग संख्या–3225 भागलपुर रे0स्टे0 से बेगुसराय। भाया–भागलपुर डीपो, भागलपुर जीरोमाईल, नौगछिया जीरोमाईल, थाना बिहपुर, नारायणपुर, पसराहा, महेशखूँट, मानसी, खगड़िया एवं बलिया। ट्रिप–02 (02 अप 02 डाउन)	टैक्स–05.09.25 फिटनेश–05.06.26 बीमा–28.04.26 प्रदूषण–04.06.26	➢ प्रथम आपत्तिकर्त्ता श्री संजय कुमार (B.S.R.T.C.), वाहन सं0–BR09PA-8767 का कहना है कि आवेदनकर्त्ता द्वारा किये गये प्रस्तावित समय–सारणी मेरे वाहन के निर्गत समय–सारणी से टकराव है, जो निम्न है:– आपत्तिकर्त्ता आवेदनकर्त्ता महेशखूंट 18:20 18:16 आवेदनकर्त्ता के मध्य बिन्दु में 05 मिनट का अन्तराल नहीं है, जो प्राधिकार के नियम के विरूद्ध है। ➢ द्वितीय आपत्तिकर्त्ता श्री संजय कुमार, वाहन सं0–BR10P-7279 का कहना है कि आवेदनकर्त्ता द्वारा किये गये प्रस्तावित समय–सारणी मेरे वाहन के प्रस्तावित समय–सारणी से टकराव है, जो निम्न है:– आपत्तिकर्त्ता आवेदनकर्त्ता खगडिया प्र0 18:56 18:55 बलिया प्र0 19:30 19:30 भागलपुर डीपो से भागलपुर रेलवे स्टेशन के बीच की दूरी 8 एवं 10 मिनट में तय करते हैं। भागलपुर डीपो से भागलपुर रेलवे स्टेशन का क्षेत्र नो इन्ट्रीजोन है। जाम के कारण भागलपुर डीपो से भागलपुर रेलवे स्टेशन के बीच की दूरी 8 एवं 10 मिनट में तय नही की जा सकती है। आवेदनकर्त्ता गतिसीमा का उल्लंघन कर रहे हैं। आवेदनकर्त्ता का मार्ग भागलपुर रेलवे स्टेशन से बेगूसराय है तथा प्रथम आपत्तिकर्त्ता का मार्ग बेगूसराय से भागलपुर है एवं द्वितीय आपत्तिकर्त्ता का मार्ग भागलपुर रेलवे स्टेशन से बेगूसराय है।	➢ प्रथम आपत्तिकर्त्ता श्री संजय कुमार (B.S.R.T.C.), वाहन सं0–BR09PA-8767 के निर्गत परमिट का आवेदनकर्त्ता के समय–सारणी से मध्य बिन्दु महेशखूंट में प्रस्थान समय 18:16 पर टकराव है। ➢ द्वितीय आपत्तिकर्त्ता श्री संजय कुमार, वाहन सं0–BR10P-7279 द्वारा पुराने परमिट से आपत्ति की गयी है, जबकि क्रम सं0–08 पर उनके ही इसी का परमिट आवेदन स्वीकृति प्रदान की गई है। अतएव पुराने परमिट से आपत्ति स्वीकार्य नहीं है। ➢ श्रीमती बिनीता कुमारी के तरफ से श्री सुधीर कुमार द्वारा शपथ पत्र के साथ एक आवेदन समर्पित किया गया है, जिसमें उनके द्वारा कहा गया है कि वाहन संख्या–BR09PA-9781 के गति सीमा का उल्लंघन न हो इस कारण आगमन एवं प्रस्थान बिन्दु पर संशोधन करना पडा है। पडाव का नाम आ0 समय प्र0 समय महेशखूंट 18:05 18:15 उपरोक्त आलोक में इस शर्त के साथ परमिट आवेदन की स्वीकृति दी जाती है कि उपर्युक्त संशोधित समय पर एक सप्ताह के अन्दर टकराव संबंधी आपत्ति प्राप्त होती है और यदि टकराव पाया जाता है तो परमिट आवेदन अस्वीकृत कर दिया जायेगा। निर्धारित अवधि में आपत्ति अप्राप्त रहने की स्थिति में परमिट निर्गत किया जायेगा। उपरोक्त संशोधन के समय पर यदि किन्ही वाहन स्वामी का टकराव होता है तो एक सप्ताह के अन्दर नियमानुसार आपत्ति समर्पित कर सकते है। निर्धारित अवधि के बाद आपत्ति स्वीकार नहीं किया जायेगा। आगमन समय पर अपत्ति स्वीकार्य नही है।
41	34	BR09PA-4601 (13.12.2019) श्री बिनय कुमार पिता–कैलाश सिंह, पता–मोहनपुर, मु0, जिला–बेगुसराय।	प्रकाशन–29.07.25 अधिसूचित मार्ग संख्या–169 बिजुलिया से बेगूसराय। भाया–साम्हो, सूर्यगढ़ा, लखीसराय, हथिदाह, बरौनी एवं जीरोमाईल। ट्रिप–02 (02 अप 02 डाउन)	टैक्स–27.09.25 फिटनेश–07.01.26 बीमा–02.07.26 प्रदूषण–15.01.26	अप्राप्त	आपत्ति अप्राप्त रहने की स्थिति में परमिट आवेदन को स्वीकृत किया जाता है।
42	35	BR09PA-9500 (19.08.2019) श्री बिनय कुमार पिता–कैलाश सिंह, पता–मोहनपुर, मु0, जिला–बेगुसराय।	प्रकाशन–29.07.25 अधिसूचित मार्ग संख्या–169 बिजुलिया से बेगूसराय। भाया–साम्हो, सूर्यगढ़ा, लखीसराय, हथिदाह, बरौनी एवं जीरोमाईल। ट्रिप–02 (02 .अप 02 डाउन)	टैक्स–07.08.25 फिटनेश–18.08.25 बीमा–10.09.25 प्रदूषण–17.09.25	अप्राप्त	आपत्ति अप्राप्त रहने की स्थिति में परमिट आवेदन को स्वीकृत किया जाता है।

43	36	BR46P-6270 (22.02.2025) श्री रबिन्द्र कुमार पिता–शिवशंकर यादव, पता–महुली, गिद्धौर, जिला–जमुई।	प्रकाशन–29.07.25 अधिसूचित मार्ग संख्या–MPPY1556 सरौन से जमुई। भाया–चकाई, बटिया, झाझा एवं गिद्धौर। ट्रिप–02 (02 अप 02 डाउन)	टैक्स–10.08.25 फिटनेश–21.02.27 बीमा–19.02.26 प्रदूषण–21.02.26	अप्राप्त	आपत्ति अप्राप्त रहने की स्थिति में परमिट आवेदन को स्वीकृत किया जाता है।
44	37	BR19F-9349 (11.12.2012) श्री रितु राज कुमार, पिता–श्री राजीव कुमार सिंह, पता–टेम्था, राका, परबत्ता, जिला–खगड़िया।	प्रकाशन–29.07.25 अधिसूचित मार्ग संख्या–3045 आलमनगर से खगड़िया। भाया–बेलदौर, सोनवर्षाघाट, उसराहा(इसराहा) एवं महेशखूंट। ट्रिप–02 (02 अप 02 डाउन)	टैक्स–10.09.25 फिटनेश–05.12.25 बीमा–23.11.25 प्रदूषण–22.09.25	अप्राप्त	आपत्ति अप्राप्त रहने की स्थिति मे परमिट आवेदन को इस शर्त्त पर स्वीकृत किया जाता है कि वाहन की आयु 15 वर्ष पूर्ण होने के पूर्व आवेदनकर्त्ता परमिट का प्रतिस्थापन अन्य उच्च मॉडल के नये वाहन पर करा लेंगे। अन्यथा वाहन की आयु 15 वर्ष पूर्ण होने के उपरान्त परमिट स्वतः रद्द कर दिया जायेगा। इस आशय का शपथ पत्र समर्पित करने के उपरान्त ही परमिट निर्गत किया जायेगा।
45	38	UP16CT6279 (18.02.2015) श्री बिनय कुमार पिता–कैलाश सिंह, पता–मोहनपुर, मु0, जिला–बेगुसराय।	प्रकाशन–29.07.25 अधिसूचित मार्ग संख्या–3168 डाउन, बेगूसराय से बिजुलिया। भाया–जीरोमाईला, बरौनी, हथिदाह, लखीसराय, सूर्यगढ़ा एवं साम्हो। ट्रिप–02 (02 अप 02 डाउन)	टैक्स–17.10.25 फिटनेश–25.06.25 बीमा–13.06.26 प्रदूषण–11.12.25	अप्राप्त	आपत्ति अप्राप्त रहने की स्थिति में परमिट आवेदन को स्वीकृत किया जाता है।
46	39	BR34P2691 (20.05.2014) श्री संजीव कुमार झा, पिता–जगनाथ झा, पता–गंगौर, जिला–खगड़िया।	प्रकाशन–29.07.25 अधिसूचित मार्ग संख्या–3043, बखरी से खगड़िया। भाया–बगरस, बेला एवं जलकौरा। ट्रिप–03 (03 अप 03 डाउन)	टैक्स–18.10.25 फिटनेश–25.06.26 बीमा–15.06.26 प्रदूषण–12.06.26	अप्राप्त	आपत्ति अप्राप्त रहने की स्थिति में परमिट आवेदन को स्वीकृत किया जाता है।
47	40	BR09R-1040 (08.09.2014) श्री डब्लू पटेल, पिता–महेश पटेल। पता–दान नगर, जिला–खगड़िया।	प्रकाशन–29.07.25 अधिसूचित मार्ग संख्या–3043, बखरी से खगड़िया। भाया–बगरस, बेला एवं जलकौरा। ट्रिप–03 (03 अप 03 डाउन)	टैक्स–07.12.25 फिटनेश–26.06.26 बीमा–11.06.26 प्रदूषण–06.05.26	अप्राप्त	आपत्ति अप्राप्त रहने की स्थिति में परमिट आवेदन को इस शर्त्त पर स्वीकृत किया जाता है कि वाहन की आयु 15 वर्ष पूर्ण होने के पूर्व आवेदनकर्त्ता परमिट का प्रतिस्थापन अन्य उच्च मॉडल के नये वाहन पर करा लेंगे। अन्यथा वाहन की आयु 15 वर्ष पूर्ण होने के उपरान्त परमिट स्वतः रद्द कर दिया जायेगा। इस आशय का शपथ पत्र समर्पित करने के उपरान्त ही परमिट निर्गत किया जायेगा।
48	41	BR09PA-9542 (06.11.2024) श्री अमरजीत कुमार पिता–रामनंदन सिंह, पता–पहसारा, बभनगामा, नॉवकोठी, जिला–बेगुसराय।	प्रकाशन–29.07.25 अधिसूचित मार्ग संख्या–3225 भागलपुर रे0स्टे0 से बेगुसराय। भाया–भागलपुर डीपो, भागलपुर जीरोमाईल, नौगछिया जीरोमाईल, थाना बिहपुर, नारायणपुर, पसराहा, महेशखूँट, मानसी, खगड़िया एवं बलिया। ट्रिप–02 (02 अप 02 डाउन)	टैक्स–29.07.25 फिटनेश–05.11.26 बीमा–04.11.25 प्रदूषण–05.11.25	➢ प्रथम आपत्तिकर्त्ता श्री संजय कुमार, वाहन सं0–**BR08P-5490** का कहना है कि आवेदनकर्त्ता द्वारा किये गये प्रस्तावित समय–सारणी मेरे वाहन के प्रस्तावित समय–सारणी से टकराव है, जो निम्न है:– आपत्तिकर्त्ता आवेदनकर्त्ता थाना बिहपुर आ0 13:40 13:41 प्र0 13:45 13:45 नारायणपुर प्र0 14:05 14:00 महेशखूंट प्र0 14:44 14:48 खगड़िया प्र0 06:28 06:28 दोनों वाहन के समय–सारणी में टकराव है। आपत्तिकर्त्ता आवेदन करने के क्रम में वरीय है। आवेदनकर्त्ता	➢ प्रथम आपत्तिकर्त्ता श्री संजय कुमार, वाहन सं0–**BR08P-5490** का आवेदनकर्त्ता के समय–सारणी से मध्य बिन्दु थाना बिहपुर में प्रस्थान समय 13:45 एवं मध्य बिन्दु खगड़िया में प्रस्थान समय 06:28 पर टकराव है। मध्य बिन्दु नारायणपुर में 05 मिनट का अन्तराल है, जो मान्य है। महेशखूंट में आवेदनकर्ता का वाहन पीछे प्रस्थान करती है। इस दोनों बिन्दु पर आपत्ति मान्य नहीं है ➢ द्वितीय आपत्तिकर्त्ता श्री संजय कुमार, वाहन सं0–**BR08P-5490** द्वारा पुराने परमिट से आपत्ति की गई है, जबकि इनके द्वारा इसी वाहन का नया परमिट

MEETING HELD ON 12-08-2025

					भागलपुर डीपो से भागलपुर रेलवे स्टेशन की दूरी 08 एंव 10 मिनट में तय करते हैं। भागलपुर रेलवे स्टेशन से भागलपुर जीरोमाईल के बीच नो इन्ट्री रहता है तथा जाम की समस्या रहती है। आवेदनकर्त्ता गतिसीमा का उल्लंघन कर रहे हैं। ➢ द्वितीय आपत्तिकर्त्ता श्री संजय कुमार, वाहन सं0–**BR08P-5490** का कहना है कि आवेदनकर्त्ता द्वारा किये गये प्रस्तावित समय–सारणी मेरे वाहन के प्रस्तावित समय–सारणी से टकराव है, जो निम्न है:– आपत्तिकर्त्ता आवेदनकर्त्ता महेशखूंट प्र0 09:59 09:57 दोनों वाहन के समय–सारणी के महेशखूंट में 02 मिनट का अन्तराल है। भागलपुर डीपो से भागलपुर रेलवे स्टेशन का क्षेत्र नो इन्ट्री है। आवेदनकर्त्ता उक्त मार्ग पर 8 एवं 10 मिनट में दूरी तय कर रहे हैं। आवेदनकर्त्ता गतिसीमा का उल्लंघन कर रहे हैं। आवेदनकर्त्ता तथा प्रथम एवं द्वितीय आपत्तिकर्त्ता का मार्ग भागलपुर रेलवे स्टेशन से बेगूसराय ही है।	आवेदन समर्पित किया गया है, जो क्रम सं0–14 पर उपस्थापित है और संशोधित समय–सारणी को सशर्त्त स्वीकृत किया गया है। ऐसी परिस्थिति में पुराने परमिट से आपत्ति मान्य नहीं है। आपत्ति–कर्त्ता के वाहन का प्रस्तावित समय–सारणी महेशखूंट में प्रस्थान समय 09:17 है। इस बिन्दु पर टकराव नहीं है। श्री अमरजीत कुमार के तरफ से श्री सुधीर कुमार द्वारा शपथ पत्र के साथ एक आवेदन समर्पित किया गया है, जिसमें उनके द्वारा कहा गया है कि वाहन संख्या–**BR09PA-9542** के गतिसीमा का उल्लंघन न हो इस कारण आगमन एवं प्रस्थान बिन्दु पर संशोधन करना पड़ा है। पड़ाव का नाम आ0 समय प्र0 समय थाना विहपुर – 13:47 खगड़िया 06:18 06:23 उपरोक्त आलोक में इस शर्त के साथ परमिट आवेदन की स्वीकृति दी जाती है कि उपर्युक्त संशोधित समय पर एक सप्ताह के अन्दर टकराव संबंधी आपत्ति प्राप्त होती है और यदि टकराव पाया जाता है तो परमिट आवेदन अस्वीकृत कर दिया जायेगा। निर्धारित अवधि में आपत्ति अप्राप्त रहने की स्थिति में परमिट निर्गत किया जायेगा। उपरोक्त संशोधन के समय पर यदि किन्ही वाहन स्वामी का टकराव होता है तो एक सप्ताह के अन्दर नियमानुसार आपत्ति समर्पित कर सकते है। निर्धारित अवधि के बाद आपत्ति स्वीकार नहीं किया जायेगा। आगमन समय पर अपत्ति स्वीकार्य नहीं है।
49	42	BR11PB-9418 (08.03.2018) श्री सर्वेश्वर चन्द्र चौधरी, पिता–श्री गणेश चौधरी, पता–कुरसंडी, पुरैनी, जिला–मधेपुरा।	प्रकाशन–29.07.25 अधिसूचित मार्ग संख्या–3045 डाउन खगड़िया से आलमनगर। भाया–महेशखूँट, उसराहा (इसराहा), सोनवर्षाघाट एवं बेलदौर। ट्रिप–02 (02 अप 02 डाउन)	टैक्स–05.09.25 फिटनेश–22.03.26 बीमा–08.04.26 प्रदूषण–04.04.26	अप्राप्त	आपत्ति अप्राप्त रहने की स्थिति में परमिट आवेदन को स्वीकृत किया जाता है।
50	43	BR08P-9121 (07.10.2024) श्री बिनय कुमार पिता–स्व0 कैलाश सिंह, पता–मोहनपुर, मु0, जिला–बेगुसराय।	प्रकाशन–29.07.25 अधिसूचित मार्ग संख्या–3168 डाउन, बेगूसराय से बिजुलिया। भाया–जीरोमाईला, बरौनी, हथिदाह, लखीसराय, सूर्यगढ़ा एवं साम्हो। ट्रिप–02 (02 अप 02 डाउन)	टैक्स–26.09.25 फिटनेश–06.10.26 बीमा–29.09.25 प्रदूषण–06.10.25	अप्राप्त	आपत्ति अप्राप्त रहने की स्थिति में परमिट आवेदन को स्वीकृत किया जाता है।

51	44	BR52P-1619 (03.04.2025) श्री राजनंदन प्रसाद सिंह, पिता–गिरजा सिंह, पता–पिपरा जिला–लखीसराय।	प्रकाशन–29.07.25 अधिसूचित मार्ग संख्या–88, सिकन्दरा से शेखपूरा स्टेशन। भाया–चेवारा एवं गिरिहिण्डा। ट्रिप–04 (04 अप 04 डाउन)	टैक्स–03.09.25 फिटनेश–02.04.27 बीमा–17.03.26 प्रदूषण–02.04.26	अप्राप्त	आपत्ति अप्राप्त रहने की स्थिति में परमिट आवेदन को स्वीकृत किया जाता है।
52	45	BR11PB-8107 (06.08.2019) श्री नंद किशोर यादव, पिता–स्व0 उपेन्द्र प्रसाद यादव, पता–कुसमार, संग्रामपुर, जिला–मुंगेर।	प्रकाशन–29.07.25 अधिसूचित मार्ग संख्या–MPPY1177 दुर्गापुर से मुंगेर। भाया–तारापुर, हवेली खरगपुर एवं बरियारपुर। ट्रिप–01 (01 अप 01 डाउन)	टैक्स–29.10.25 फिटनेश–21.02.27 बीमा–19.04.26 प्रदूषण–18.04.26	➢ आपत्तिकर्त्ता श्री सुमित कुमार, वाहन सं0–**BR10PB-9317** का कहना है कि आवेदनकर्त्ता मार्ग सं0–MPPY1177 पर दुर्गापुर से मुंगेर के लिए परमिट का आवेदन किये हैं। मार्ग सं0–MPPY1177 मुख्यमंत्री प्रखण्ड परिवहन योजना के लिए निर्धारित है। आवेदनकर्त्ता का वाहन मुख्यमंत्री प्रखण्ड परिवहन योजना के अन्तर्गत स्वीकृत नहीं है तथा वाहन का मॉडल 2019 है, जो गलत है। आवेदनकर्त्ता का अधिसूचित मार्ग MPPY1177 दुर्गापुर से मुंगेर तथा आपत्तिकर्त्ता का मार्ग चकाई से मुंगेर है।	➢ आवेदनकर्त्ता द्वारा "मुख्यमंत्री प्रखण्ड परिवहन योजना" के अन्तर्गत परिचालन हेतु अधिसूचित मार्ग **MPPY1177** पर परमिट हेतु आवेदन किया गया है, जबकि आवेदनकर्त्ता का यह वाहन इस योजना के तहत् आवंटित नही है। अतएव उचित मार्ग पर अगली बैठक में आवेदन समर्पित करने हेतु एक मौका दिया जाता है।
53	46	BR34P-4243 (19.01.2018) श्री डब्लू पटेल, पिता–महेश पटेल। पता–दान नगर, जिला–खगड़िया।	प्रकाशन–29.07.25 अधिसूचित मार्ग संख्या–3019, खगड़िया से बखरी। भाया–जलकौरा, बेला एवं बगरस। ट्रिप–03 (03 अप 03 डाउन)	टैक्स–07.10.25 फिटनेश–05.06.26 बीमा–29.12.25 प्रदूषण–25.07.26	अप्राप्त	आपत्ति अप्राप्त रहने की स्थिति में परमिट आवेदन को स्वीकृत किया जाता है।
54	47	BR52P-1518 (08.04.2025) श्री रंजन कुमार राय, पिता–ब्रहम्देव प्रसाद राय, पता–इन्दयी जिला–शेखपुरा।	प्रकाशन–29.07.25 अधिसूचित मार्ग संख्या–144, शेखपुरा से लखीसराय। भाया–गिरिहिण्डा। ट्रिप–04 (04 अप 04 डाउन)	टैक्स–28.09.25 फिटनेश–07.04.27 बीमा–28.03.26 प्रदूषण–07.04.26	अप्राप्त	आपत्ति अप्राप्त रहने की स्थिति में परमिट आवेदन को स्वीकृत किया जाता है।
55	48	BR10PB-9464 (03.03.2018) मो0 फैयाज अहमद, पिता–मिराज उद्दीन पता–पंडित टोला, सिकन्दरा, जिला–जमुई।	प्रकाशन–29.07.25 अधिसूचित मार्ग संख्या–3011 मल्लेपुर स्टेशन से आढा। भाया–महिसौढ़ी चौक, सिकन्दरा, अलीगंज एवं चन्द्रदीप। ट्रिप–03 (03 अप 03 डाउन)	टैक्स–19.08.25 फिटनेश–02.04.26 बीमा–**13-01.26** प्रदूषण–21.04.26	➢ आपत्तिकर्त्ता श्री मुन्नीलाल साह, वाहन सं0–**BR53P-7765** का कहना है कि आवेदनकर्त्ता द्वारा किये गये प्रस्तावित समय–सारणी मेरे वाहन के निर्गत समय–सारणी से टकराव है, जो निम्न है:– आपत्तिकर्त्ता आवेदनकर्त्ता अलीगंज प्र0 18:08 18:05 आवेदनकर्त्ता चन्द्रदीप आगमन प्रस्थान में 00:00 समय–सारणी में दिये हैं। चन्द्रदीप में वाहन का ठहराव है। ऑनलाईन में भी चन्द्रदीप में ठहराव है। वाहन स्वामी चन्द्रदीप में वाहन का ठहराव करेंगे। जानबूझकर दूसरे वाहन स्वामी को आर्थिक क्षति पहुँचाने के लिए इस प्रकार का त्रुटिपूर्ण समय–सारणी दिये हैं। आवेदनकर्त्ता के पास कुल 08 वाहन है। मात्र दो वाहन का परिचालन रोड में करते हैं तथा अन्य वाहन का परमिट क्षेत्रीय परिवहन	➢ आपत्तिकर्त्ता श्री मुन्नीलाल साह, वाहन सं0–**BR53P-7765** का निर्गत परमिट से आवेदनकर्त्ता के समय–सारणी से मध्य बिन्दु अलीगंज में प्रस्थान समय 18:05 पर टकराव है। ➢ आवेदनकर्त्ता द्वारा शपथ पत्र के साथ एक आवेदन समर्पित किया गया है जिसमें इनके द्वारा अलीगंज में प्रस्थान समय 18:05 के स्थान पर 18:02 करने का अनुरोध किया गया है। उपरोक्त आलोक में इस शर्त के साथ परमिट आवेदन की स्वीकृति दी जाती है कि उपर्युक्त संशोधित समय पर एक सप्ताह के अन्दर टकराव संबंधी आपत्ति प्राप्त होती है और यदि टकराव पाया जाता है तो परमिट आवेदन अस्वीकृत कर दिया जायेगा। निर्धारित अवधि में आपत्ति अप्राप्त रहने की स्थिति में परमिट निर्गत किया जायेगा। उपरोक्त संशोधन के समय पर यदि किन्ही वाहन स्वामी का टकराव होता है

MEETING HELD ON 12-08-2025

					प्राधिकार, मुंगेर से प्राप्त कर डी०ए०भी०, स्कूल में परिचालन करते हैं। आवेदनकर्त्ता तथा आपत्तिकर्त्ता का मार्ग मल्लेपुर स्टेशन से आढ़ा ही है।	तो एक सप्ताह के अन्दर नियमानुसार आपत्ति समर्पित कर सकते है। निर्धारित अवधि के बाद आपत्ति स्वीकार नहीं किया जायेगा। आगमन समय पर अपत्ति स्वीकार्य नहीं है।
56	49	BR11PB-8110 (06.08.2019) श्री नंद किशोर यादव, पिता–स्व0 उपेन्द्र प्रसाद यादव, पता–कुसमार, संग्रामपुर, जिला–मुंगेर।	प्रकाशन–29.07.25 अधिसूचित मार्ग संख्या–3214, तारापुर से जमुई। भाया–संग्रामपुर, गंगटा, लक्ष्मीपुर एवं मल्लेपुर। ट्रिप–02 (02 अप 02 डाउन)	टैक्स–29.10.25 फिटनेश–28.04.27 बीमा–19.04.26 प्रदूषण–21.04.26	अप्राप्त	आपत्ति अप्राप्त रहने की स्थिति में परमिट आवेदन को स्वीकृत किया जाता है।
57	50	BR09PB-9431 (24.06.2025) श्रीमती आशा देवी, पति–राजकिशोर राय, पता–मटिहानी, जिला–बेगुसराय।	प्रकाशन–29.07.25 अधिसूचित मार्ग संख्या–3107 डाउन बेगुसराय से हसनपुर। भाया–मंझौल एवं गढपुरा। ट्रिप–02 (02 अप 02 डाउन)	टैक्स–04.09.25 फिटनेश–23.06.27 बीमा–04.06.26 प्रदूषण–23.06.26	अप्राप्त	आपत्ति अप्राप्त रहने की स्थिति में परमिट आवेदन को स्वीकृत किया जाता है।
58	51	BR09PB-5105 (22.05.2025) श्री राजीव रंजन कुमार, पिता–श्री रविन्द्र कुमार, पता–अख्तियारपुर, रजौरा, जिला–बेगुसराय।	प्रकाशन–29.07.25 अधिसूचित मार्ग संख्या–3182, नारायण पिपर से बेगूसराय। भाया–कुम्भी, खंजापुर, बरियारपुर एवं मंझौल। ट्रिप–03 (03 अप 03 डाउन)	टैक्स–13.08.25 फिटनेश–21.05.27 बीमा–13.05.26 प्रदूषण–21.05.26	➢ आपत्तिकर्त्ता श्री विजय राय, वाहन सं0–**BR01PH-6830** का कहना है कि आवेदनकर्त्ता BR09PB-5105 के वाहन स्वामी राजीव कुमार रंजन के द्वारा दिया गया प्रस्तावित समय–सारणी में एक स्थान से दूसरे स्थान की तय की गई दूरी नहीं दिया गया है और एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचने में कितना समय लगा है, नहीं दिया गया है और ना ही किलोमीटर को दिखाया गया है। वाहन स्वामी प्राधिकार के आदेश का उल्लंघन किया है। वाहन स्वामी के यहाँ कर बकाया है। गाड़ी सं0–BR1AP-6322, जिसका M-Parivahan की छायाप्रति संलग्न है। अतः श्रीमान् से आग्रह है कि सभी बिन्दुओं पर विचार करते हुए आवेदन को रद्द करने की कृपा करें। आवेदनकर्त्ता का मार्ग नारायण पिपर से बेगूसराय है तथा आपत्तिकर्त्ता का मार्ग कचहरी रामपुर से बेगूसराय है।	➢ आपत्तिकर्त्ता द्वारा समय–सारणी पर कोई आपत्ति नहीं की गई है। ➢ आवेदनकर्त्ता द्वारा एक आवेदन समर्पित कर यह बतलाया गया है कि आवेदन करने के क्रम में भूलवश समय–सारणी में एक स्थान से दूसरे स्थान की तय की गई दूरी एवं लगने वाला समय छूट गया था। आवेदन–कर्त्ता द्वारा अनुरोध पत्र में आवेदित प्रस्तावित समय–सारणी में एक स्थान से दूसरे स्थान की तय की गई दूरी एवं लगने वाला समय दर्शित कर दिया गया है। वाहन सं0–**BR01AP-6322** आवेदन–कर्त्ता के नाम से निबंधित नहीं है। अतएव आवेदनकर्त्ता द्वारा समर्पित अनुरोध पत्र के आधार पर तथा समय–सारणी पर कोई आपत्ति नहीं रहने के कारण परमिट आवेदन को स्वीकृत किया जाता है।
59	52	BR34P-7219 (05.05.2025) श्री पप्पु कुमार, पिता–आलोक यादव, पता–अलौली, जिला–खगड़िया।	प्रकाशन–29.07.25 अधिसूचित मार्ग संख्या–3019, खगड़िया से बखरी। भाया–जलकौरा, बेला एवं बगरस। ट्रिप–03 (03 अप 03 डाउन)	टैक्स–22.10.25 फिटनेश–04.05.27 बीमा–04.05.26 प्रदूषण–04.05.26	अप्राप्त	आपत्ति अप्राप्त रहने की स्थिति में परमिट आवेदन को स्वीकृत किया जाता है।

MEETING HELD ON 12-08-2025

60	53	BR11PB-8108 (06.08.2019) श्री नंद किशोर यादव, पिता–स्व0 उपेन्द्र प्रसाद यादव, पता–कुसमार, संग्रामपुर, जिला–मुंगेर।	प्रकाशन–29.07.25 अधिसूचित मार्ग संख्या–3058, साहेबगंज से जमुई। भाया–बेलहर, धनजोरवा, कुमरी, खिलहर, दिघ्घी, जिनहारा, लक्ष्मीपुर एवं मल्लेपुर। ट्रिप–02 (02 अप 02 डाउन)	टैक्स–29.10.25 फिटनेश–28.04.27 बीमा–19.04.26 प्रदूषण–22.04.26	अप्राप्त	आपत्ति अप्राप्त रहने की स्थिति में परमिट आवेदन को स्वीकृत किया जाता है।
61	54	BR53A-0021 (17.03.2012) श्री मनोज कुमार सिंह, पिता–स्व0 राम साखा सिंह, पता–जमुई मोड़, एसपी कोठी के नजदी, जिला–लखीसराय।	प्रकाशन–29.07.25 अधिसूचित मार्ग संख्या–3089 डाउन, लखीसराय से शेखपुरा। भाया–गिरिहिण्डा चौक। ट्रिप–03 (03 अप 03 डाउन)	टैक्स–16.09.25 फिटनेश–17.10.25 बीमा–25.07.26 प्रदूषण–23.09.25	अप्राप्त	आपत्ति अप्राप्त रहने की स्थिति में परमिट आवेदन को इस शर्त्त पर स्वीकृत किया जाता है कि वाहन की आयु 15 वर्ष पूर्ण होने के पूर्व आवेदनकर्त्ता परमिट का प्रतिस्थापन अन्य उच्च मॉडल के नये वाहन पर करा लेंगे। अन्यथा वाहन की आयु 15 वर्ष पूर्ण होने के उपरान्त परमिट स्वतः रद्द कर दिया जायेगा। इस आशय का शपथ पत्र समर्पित करने के उपरान्त ही परमिट निर्गत किया जायेगा।
62	55	BR34P-7057 (14.11.2024) श्री ब्रजेश कुमार सिंह पिता–स्व0 योगेन्द्र ना0 सिंह पता–बख्तियारपुर, मानसी, जिला–खगड़िया।	प्रकाशन–29.07.25 अधिसूचित मार्ग संख्या–3045 डाउन खगड़िया से आलमनगर। भाया–महेशखूँट, उसराहा (इसराहा), सोनवर्षाघाट एवं बेलदौर। ट्रिप–03 (03 अप 03 डाउन)	टैक्स–11.08.25 फिटनेश–13.11.26 बीमा–11.11.25 प्रदूषण–13.11.25	➢ प्रथम आपत्तिकर्त्ता श्री कृष्ण मोहन, वाहन सं0–**BR34P-6398** का कहना है कि आवेदनकर्त्ता द्वारा किये गये प्रस्तावित समय–सारणी मेरे वाहन के प्रस्तावित समय–सारणी से टकराव है, जो निम्न है:– आपत्तिकर्त्ता आवेदनकर्त्ता महेशखूंट प्र0 04:25 04:25 आवेदनकर्त्ता एवं आपत्तिकर्त्ता का मध्य बिन्दु महेशखूंट में **Same** समय है। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि दोनों के समय–सारणी पर विचार किया जाय, जबकि इस गाड़ी के आगे पीछे मेरी गाड़ी का समय–सारणी है। ➢ द्वितीय आपत्तिकर्त्ता श्री शैलेश कुमार, वाहन सं0–**BR34P-9518** का कहना है कि आवेदनकर्त्ता द्वारा किये गये प्रस्तावित समय–सारणी मेरे वाहन के निर्गत समय–सारणी से टकराव है, जो निम्न है:– आपत्तिकर्त्ता आवेदनकर्त्ता आलमनगर प्र0 13:39 13:35 आवेदनकर्त्ता द्वारा मुख्य बिन्दु पर मेरे समय–सारणी से मात्र 04 मिनट के अन्तराल पर रखा गया है, जबकि प्राधिकार के नियमानुसार मुख्य बिन्दु पर 05 मिनट का अन्तराल होना चाहिए। ➢ तृतीय आपत्तिकर्त्ता श्रीमती स्वेता सोनी, वाहन सं0–**BR09PA-8618** का कहना है कि आवेदनकर्त्ता द्वारा किये गये प्रस्तावित समय–सारणी मेरे वाहन के निर्गत समय–सारणी से टकराव है, जो निम्न है:– आपत्तिकर्त्ता आवेदनकर्त्ता सोनवर्षाघाट प्र0 11:35 11:34 बेलदौर प्र0 12:03 12:05 आवेदनकर्त्ता द्वारा मध्य बिन्दु सोनवर्षाघा एवं बेलदौर में मेरे	➢ प्रथम आपत्तिकर्ता श्री कृष्ण मोहन, वाहन सं0–**BR34P-6398** का आवेदनकर्त्ता के समय–सारणी से मध्य बिन्दु महेशखूंट में प्रस्थान समय 04:25 पर टकराव है। आपत्तिकर्ता इस बैठक में आवेदनकर्ता भी हैं जिनका क्रम संख्या–24 है एवं उन्हें संशोधन हेतु एक मौका देने का प्रस्ताव है। ➢ द्वितीय आपत्तिकर्ता श्री शैलेश कुमार, वाहन सं0–**BR34P-9518** के निर्गत परमिट से आवेदनकर्ता के समय–सारणी से मुख्य बिन्दु आलमनगर में प्रस्थान समय 13:35 पर टकराव है। ➢ तृतीय आपत्तिकर्ता श्रीमती स्वेता सोनी, वाहन सं0–**BR09PA-8618** का निर्गत परमिट से आवेदनकर्त्ता के समय–सारणी से मध्य बिन्दु सोनवर्षाघाट में प्रस्थान समय 11:34 पर टकरव है। बेलदौर में आवेदनकर्ता पीछे प्रस्थान करती है। इस बिन्दु पर आपत्ति मान्य नहीं है। ➢ चतुर्थ आपत्तिकर्ता श्री शैलेश कुमार, वाहन सं0–**BR11PC-8818** का निर्गत परमिट से आवेदनकर्ता के समय–सारणी से मध्य बिन्दु सोनवर्षाघाट में प्रस्थान समय 16:35 पर टकराव है। अतएव प्रथम आपत्तिकर्ता के वाहन सं0–**BR34P-6398** पर निर्णय के उपरान्त एवं होने वाले टकराव तथा हो सकने वाले टकराव के बिन्दुओं पर संशोधित समय–सारणी समर्पित करने के उपरांत विचार किया जायेगा।

MEETING HELD ON 12.08.2025

					समय–सारणी से मात्र 01 एवं 02 मिनट के अन्तराल पर रखा गया है, जबकि प्राधिकार के नियमानुसार मुख्य बिन्दु पर 05 मिनट का अन्तराल होना चाहिए। ➢ चतुर्थ आपत्तिकर्त्ता श्री शैलेश कुमार, वाहन सं0–**BR11PC-8818** का कहना है कि आवेदनकर्त्ता द्वारा किये गये प्रस्तावित समय–सारणी मेरे वाहन के निर्गत समय–सारणी से टकराव है, जो निम्न है:– आपत्तिकर्त्ता आवेदनकर्त्ता सोनवर्षाघाट प्र0 16:35 16:35 आवेदनकर्त्ता द्वारा मध्य बिन्दु पर मेरे समय–सारणी पर **Same** समय–सारणी पर आवेदन दिया है, जबकि प्राधिकार के नियमानुसार मुख्य बिन्दु पर 05 मिनट का अन्तराल होना चाहिए। आवेदनकर्त्ता तथा प्रथम एवं तृतीय आपत्तिकर्त्ता का मार्ग खगड़िया से आलमननगर है तथा द्वितीय एवं चतुर्थ आपत्तिकर्त्ता का मार्ग आलमनगर से खगड़िया है।	
63	56	BR34G-0110 (22.04.2013) श्री अजीत कुमार पिता– श्री रामनंदन सिंह पता–पहसारा, जिला–बेगुसराय।	प्रकाशन–20.05.25 अधिसूचित मार्ग संख्या–3015 अलौली से बेगुसराय, भाया–हरिपुर, आशापोखर, बखरी एवं मझौल। ट्रिप–03 (03 अप 03 डाउन)	टैक्स–03.08.25 फिटनेश–14.09.25 बीमा–31.01.26 प्रदूषण–03.09.25	➢ आपत्तिकर्त्ता का कहना है कि मैं श्री नीरज कुमार सिंह, वाहन सं0–**BR43P-1809** का स्वामी हूँ और मैंने मार्ग बेगूसराय से बखरी पर स्थायी परमिट हेतु आवेदन दाखिल किया हूँ। न्याय रथ के संचालक एवं कर्ताधर्त्ता के द्वारा विभाग के साथ छल प्रपंच कर कम सीट में तकरीबन 10–12 वाहनों का निबंधन कराये हुए है, जिससे सरकार को भारी राजस्व की क्षति हुई है और कम सीट में वाहन के निबंधन के फलस्वरूप उनके द्वारा हर महिना मोटर वाहन कर की चोरी की जा रही है। उनके निम्नलिखित वाहनों का निबंधन श्रीमान् जिला परिवहन पदाधिकारी, बेगूसराय के कार्यालय के द्वारा किया गया है और सभी वाहन 190 इंच = 4900 mm व्हील वेस की वाहन है और सरकार के द्वारा निर्धारित व्हील वेस के अनुसार वाहनों में बैठान क्षमता के अनरूप वाहन का निबंधन होना है और उसी अनुरूप वाहन का कर भुगतान प्राप्त करना है, परन्तु उनके द्वारा अपने सभी वाहनों का निबंधन मात्र 35–36 सीट (बैठान क्षमता) में कराया गया है जिसकी विवरणी नीचे दिया जा रहा है। इस संबंध में परिवहन विभाग के द्वारा सभी जिला परिवहन पदाधिकारी को पूर्व ही विभागीय पत्र के द्वारा स्पष्ट निर्देश दिया गया है, जो पत्रांक–1346, दिनांक–04.04.2013 एवं 1905, दिनांक–23.05.2013 साथ ही बिहार गजट दिनांक–19.09.2014 में सुस्पष्ट अंकित है। श्रीमान् के सुलभ प्रसंग हेतु उक्त पत्रों एवं बिहार गजट की छायाप्रति इस आवेदन के	➢ आपत्तिकर्त्ता द्वारा आवेदनकर्त्ता के समय सारणी पर कोई आपत्ति नहीं की गई है। अतएव परमिट आवेदन को इस शर्त्त पर स्वीकृत किया जाता है कि वाहन की आयु 15 वर्ष पूर्ण होने के पूर्व आवेदनकर्त्ता परमिट का प्रतिस्थापन अन्य उच्च मॉडल के नये वाहन पर करा लेंगे। अन्यथा वाहन की आयु 15 वर्ष पूर्ण होने के उपरान्त परमिट स्वतः रद्द कर दिया जायेगा। इस आशय का शपथ पत्र समर्पित करने के उपरान्त ही परमिट निर्गत किया जायेगा।

MEETING HELD ON 12-08-2025

					साथ संलग्न कर रहा हूँ। उक्त पत्र में विभाग के द्वारा स्पष्ट निर्देश है कि किसी भी सूरत में वाहन निबंधन के समय व्हील वेस के अनुसार ही बैठान क्षमता, वाहन के निबंधन पुसत में अंकित किया जाय और अगर कोई वाहन स्वामी उक्त व्हील वेस गे अनुरूप कम बैठान क्षमता में वाहन का निबंधन कराते हैं तो वह वाहन या तो सेमी डीलक्स अथवा डीलक्स वाहन के रूप में ही निबंधित हो सकती है और उसी अनुरूप कर का भुगतान की जानी है, परन्तु न्याय रथ के संचालक एवं मालिक श्री सुधीर कुमार के द्वारा किसी भी नियम का पालन नहीं किया गया है और अपने निम्न सभी वाहनों का निबंधन कम बैठान क्षमता में कराया गया है तथा विभाग को भारी राजस्व की क्षति पहुंचायी गई है और आज तक लगातार कर की चोरी की जा रही है। अतः उनके द्वारा विभाग के साथ की गयी छल प्रपंच एंव लगातार कर की चोरी किये जाने के कारण उचित जांचोपरान्त कड़ी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। निम्न सभी वाहन संख्या 4900 mm = 190 इंच व्हील बेस की वाहन है, जिसमें बैठान क्षमता 35, 36 या 37 में निबंधन कराया गया है। :— **BR09R-6302, BR09R-6301, BR09R-6304, BR09PA-1030, BR09PA-1035, BR09P-0110, BR09K-0101, BR09J-0101, BR09N-0110, BR09M-1040, BR09M-0101, BR09S-0110, BR09M-0101, BR09L-0101, BR34P-0110** एवं **BR34G-0110.** श्रीमान् को अवगत कराना चाहता हूँ कि जिला परिवहन पदाधिकारी कार्यालय में 4900 mm = 190 इंच व्हील बेस की वाहन का निबंधन अन्य वाहन स्वामी के द्वारा भी कराया गया है, जिनके वाहन बैठान क्षमता 48 से 50 है। उक्त वर्णित तथ्यों के आलोक मे मैंने जिला परिवहन पदाधिकारी सहित सभी वरीय पदाधिकारियों को आवेदन दिया है, परन्तु आजतक उसपर कोई कार्यवाई नहीं की गई है और उक्त वाहन स्वामी पुनः अपने उक्त वाहन के पक्ष में स्थायी परमिट हेतु आवेदन दाखिल किया है। अतः श्रीमान् से करबद्ध प्रार्थना है कि सभी बातों पर भली भांति विचार कर उचित निर्णय लेने की कृपा करें ताकि सरकार को हुई क्षति की भरपाई हो सके और कानून विरूद्ध कार्य करने वाले पर उचित कानूनी कार्यवाई हो सके और आवेदक के द्वारा सरकार का राजस्व चोरी के कारण उनके दाखिल आवेदन को रद्द करने की कृपा की जाय।	

MEETING HELD ON 12-08-2025

					आवेदनकर्त्ता का मार्ग अलौली से बेगूसराय है तथा आपत्तिकर्त्ता का मार्ग बेगूसराय से बखरी है।	
64	57	BR01PL-0021 (07.12.2021) श्री मनोज कुमार सिंह, पिता–रामसाखा सिंह, पता–जमुई मोड़, एसपी कोठी के नजदी, जिला–लखीसराय।	प्रकाशन–29.07.25 अधिसूचित मार्ग संख्या–3168 बिजुलिया से बेगूसराय। भाया–साम्हो, सूर्यगढ़ा, लखीसराय, हथिदाह, बरौनी एवं जीरोमाईल। ट्रिप–02 (02 अप 02 डाउन)	टैक्स–27.08.25 फिटनेश–11.02.26 बीमा–29.11.25 प्रदूषण–27.06.26	➢ आपत्तिकर्त्ता श्री विनय कुमार, वाहन सं0–**BR08P-4883** का कहना है कि मैने भी मार्ग सं0–169/3168, बिजुलिया से बेगूसराय मार्ग पर स्थायी परिमट हेतु आवेदन दाखिल किया है। श्री मनोज कुमार सिंह द्वारा वाहन सं0–BR01PL-0021 के लिए प्रस्तुत समय–सारणी में त्रुटियों के संबंध में आपत्ति कर किया है, जो निम्न है :– • उनके द्वारा लखीसराय से प्रस्थान का समय 07:59 और हथिदाह आगमन समय 07:45 और हथिदाह प्रस्थान समय 07:50 प्रस्तावित किया गया है, जो कि संभव नहीं है। • इसी प्रकार साम्हो से प्रस्थान का समय 19:00 और बिजुलिया आगमन का समय भी 19:00 ही प्रस्तावित है, जो स्पष्ट रूप से त्रुटिपूर्ण है। इस प्राधिकार की पूर्व बैठकों मे यह नीति रही है कि त्रुटिपूर्ण समय–सारणी को या तो खारिज कर दिया जाता है या आवेदक को संशोधित समय–सारणी दाखिल करने का एक अवसर प्रदान किया जाता है। अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में श्रीमान् से निवेदन है कि उक्त आवेदक द्वारा दाखिल की गई त्रुटिपूर्ण समय–सारणी को खारिज करने की कृपा की जाय। आवेदनकर्त्ता एवं आपत्तिकर्त्ता का मार्ग बिजुलिया से बेगूसराय है।	➢ आवेदनकर्ता द्वारा त्रुटिपूर्ण समय–सारणी समर्पित की गई है। ➢ आवेदनकर्त्ता के तरफ से एक आवेदन समर्पित किया गया है जिसमें उनके द्वारा कहा गया है कि टंकण भूलवश लखीसराय में प्रस्थान समय 06:59 के स्थान पर 07:59 एवं बिजुलिया में आगमन समय 19:05 के स्थान पर 19:00 टंकित हो गया है। उपरोक्त आलोक में लखीसराय में प्रस्थान समय 06:59 एवं बिजुलिया में आगमन समय 19:05 संशोधित कर इस शर्त के साथ परमिट आवेदन की स्वीकृति दी जाती है कि आवेदनकर्त्ता तत्काल एक शपथ पत्र समर्पित करेंगे कि उपर्युक्त संशोधित समय पर एक सप्ताह के अन्दर टकराव संबंधी आपत्ति प्राप्त होती है और यदि टकराव पाया जाता है तो परमिट आवेदन अस्वीकृत कर दिया जायेगा। निर्धारित अवधि में आपत्ति अप्राप्त रहने की स्थिति में परमिट निर्गत किया जायेगा। उपरोक्त संशोधन के समय पर यदि किन्ही वाहन स्वामी का टकराव होता है तो एक सप्ताह के अन्दर नियमानुसार आपत्ति समर्पित कर सकते है। निर्धारित अवधि के बाद आपत्ति स्वीकार नहीं किया जायेगा। आगमन समय पर अपत्ति स्वीकार्य नहीं है।

कार्यावली संख्या – 03

प्रतिहस्ताक्षर आवेदन

क्र0 सं0	आवेदन क्रमांक	वाहन सं0/निबंधन की तिथि, आवेदक का नाम एवं पता	आवेदित मार्ग/दूरी एवं प्रतिदिन की जाने वाली ट्रिपों की सं0 एवं कुल दूरी	वाहन के कागजात की स्थिति	आपत्ति की स्थिति (प्राप्त/अप्राप्त)	प्राधिकार का निर्णय
65	66	BR19P-9297 (01.08.2024) श्री चितरंजन कुमार, पिता–श्री मौलेश्वर प्र0 सिंह, पता–कायस्थ टोला, जिला–सहरसा।	प्रकाशन–29.07.2025 अधिसूचित मार्ग संख्या–4506 सिंहेश्वर से अगुवानी। भाया–मधेपुरा, बैजनाथपुर, सहरसा, सौरबाजार, सोनवर्षा, महेशखूंट, जमालपुर, मरैया एवं परबत्ता। ट्रिप–02 (02 अप 02 डाउन)	टैक्स–29.01.26 फिटनेश–31.07.26 बीमा–29.07.26 प्रदूषण–30.07.26	अप्राप्त	आपत्ति अप्राप्त रहने की स्थिति में परमिट प्रतिहस्ताक्षर के आवेदन को स्वीकृत किया जाता है।

MEETING HELD ON 12.08.2025

66	67	BR09PA-3311 (02.04.2018) श्री सुदर्शन सिंह, पिता–लक्ष्मी ना0 सिंह, पता–अशोक नगर, पोखरिया, जिला–बेगूसराय।	प्रकाशन–20.05.2025 अधिसूचित मार्ग संख्या–920 पटना से बेगूसराय। भाया–दिदारगंज, फतवा, हरनौत, बाढ़ एवं मोकामा। ट्रिप–01 (01 अप 01 डाउन)	टैक्स–01.10.25 फिटनेश–04.06.26 बीमा–31.05.26 प्रदूषण–25.11.25	अप्राप्त	आपत्ति अप्राप्त रहने की स्थिति में परमिट प्रतिहस्ताक्षर के आवेदन को स्वीकृत किया जाता है।
67	68	BR09PA-6461 (07.06.2021) श्री सुदर्शन सिंह, पिता–लक्ष्मी ना0 सिंह, पता–पोखरिया, जिला–बेगूसराय।	प्रकाशन–20.05.2025 अधिसूचित मार्ग संख्या–920 पटना से बेगूसराय। भाया–दिदारगंज, फतवा, हरनौत, बाढ़ एवं मोकामा। ट्रिप–01 (01 अप 01 डाउन)	टैक्स–19.10.25 फिटनेश–06.06.27 बीमा–12.04.26 प्रदूषण–02.06.26	अप्राप्त	आपत्ति अप्राप्त रहने की स्थिति में परमिट प्रतिहस्ताक्षर के आवेदन को स्वीकृत किया जाता है।

कार्यावली संख्या – 04

स्कूल बस परमिट आवेदन

क्र0 सं0	आवेदन क्रमांक	वाहन सं0 / निबंधन की तिथि, आवेदक का नाम एवं पता	आवेदित मार्ग / दूरी एवं प्रतिदिन की जाने वाली ट्रिपों की सं0 एवं कुल दूरी	वाहन के कागजात की स्थिति	प्राधिकार का निर्णय
68	69	BR21PA-0339 (13.02.2025) तीर्थनकर महावीर विद्या मंदिर पता– लछुआर, सिकन्दरा जिला–जमुई।	जमुई (लछुआर)क्षेत्र अन्तर्गत बच्चों को घर से स्कूल लाना एवं स्कूल से घर पहुँचाना।	टैक्स–30.01.26 फिटनेश–12.02.27 बीमा–07.02.26 प्रदूषण–नयी वाहन	स्वीकृत।
69	70	BR21PA-0340 (13.02.2025) तीर्थनकर महावीर विद्या मंदिर पता– लछुआर, सिकन्दरा जिला–जमुई।	जमुई (लछुआर)क्षेत्र अन्तर्गत बच्चों को घर से स्कूल लाना एवं स्कूल से घर पहुँचाना।	टैक्स–29.12.25 फिटनेश–12.02.27 बीमा–07.02.26 प्रदूषण–नयी वाहन	स्वीकृत।

कार्यावली संख्या –05

प्राप्त परमिट के समय–सारणी में संशोधन

क्र0 सं0	आवेदन क्रमांक	वाहन सं0 / निबंधन की तिथि, आवेदक का नाम एवं पता	आवेदित मार्ग / दूरी एवं प्रतिदिन की जाने वाली ट्रिपो की सं0 एवं कुल दूरी	वाहन के कागजात की स्थिति	आपत्ति की स्थिति (प्राप्त / अप्राप्त)	प्राधिकार का निर्णय
70	58	BR06PF-1250 (18.03.2021) श्री नित्यानंद सिंह पिता– श्री रामनंदन सिंह पता–गोरगामा, नयागाँव, जिला–बेगुसराय।	प्रकाशन–09.01.2025 अधिसूचित मार्ग संख्या–3200 बेगुसराय से भागलपुर। भाया–बलिया, खगड़िया, मानसी, महेशखूंट, थाना बिहपुर, खरीक, नौगछिया जीरोमाईल एवं भागलपुर जीरोमाईल ट्रिप–02 (02 अप 02 डाउन)	टैक्स–17.09.25 फिटनेश–28.04.27 बीमा–17.04.26 प्रदूषण–24.04.26	अप्राप्त	आपत्ति अप्राप्त रहने की स्थिति में भागलपुर में प्रस्थान समय 07:50 के स्थान पर 07:55 पर संशोधित करने की स्वीकृति दी जाती है।

MEETING HELD ON 12-08-2025

कार्यावली संख्या –06

पूर्व से प्राप्त परमिट का अपने ही अन्य नये उच्च मॉडल के वाहन पर प्रतिस्थापन

क्र0 सं0	आवेदन क्रमांक	वाहन सं0 / निबंधन की तिथि, आवेदक का नाम एवं पता	आवेदित मार्ग / दूरी एवं प्रतिदिन की जाने वाली ट्रिपों की सं0 एवं कुल दूरी	वाहन के कागजात की स्थिति	परमिट का प्रतिस्थापन हेतु नयी वाहन सं0 आवेदक का नाम एवं वाहन के कागजात की स्थिति	प्राधिकार का निर्णय
71	71	BR34P-1271 (24.09.2010) श्री महेश ठाकुर, पिता–श्री सुरेश ठाकुर, पता–फुलमलिक, साहेबपुर कमाल, जिला–बेगूसराय।	अधिसूचित मार्ग संख्या–3045, आलमनगर से खगड़िया। भाया–बेलदौर, सोनवर्षाघाट एवं महेशखूंट। ट्रिप–02 (02 अप 02 डाउन)	टैक्स–31.08.25 फिटनेश–07.08.25 बीमा–02.11.25 प्रदूषण–11.02.25	BR50P-4789 (20.09.2019)श्री महेश ठाकुर, टैक्स–19.09.25 फिटनेश–04.01.26 बीमा–19.05.26 प्रदूषण–21.05.26	स्वीकृत।

MEETING HELD ON 12-08-2025

अन्यान्य :–

1. उपर्युक्त स्वीकृत आवेदन के आलोक में सभी वाहन स्वामी अगली बैठक से पूर्व परमिट का उठाव करना सुनिश्चित करेंगे। अन्यथा परमिट आवेदन बिना किसी सूचना के रद्द करते हुए ऑनलाईन से हटा दिया जायेगा।
2. सभी जिला परिवहन पदाधिकारी बैठक में लिये गये निर्णय के आलोक में अविलम्ब वांछित प्रतिवेदन समर्पित करना सुनिश्चित करेंगे।
3. वाहनों में सुरक्षा मानकों का पालन सख्ती से किया जाना है। दिव्यांगजनों के लिए आरक्षित सीट बस में अवश्य होनी चाहिए।
4. वाहनों में अग्नि शमन प्रणाली की व्यवस्था, आपातकालीन खिड़की / दरवाजा एवं प्राथमिक उपचार हेतु प्राथमिक उपचार की व्यवस्था अवश्य रूप से रहनी चाहिए।
5. वाहनों में ज्वलनशील पदार्थों / वस्तुओं का वहन नहीं किया जाना है।
6. सड़क सुरक्षा संबंधी उपायों के अधीन वाहनों में परावर्त्ती टेप लगाना अनिवार्य है।
7. वाहन में ड्राईवर का नाम / पता / मोबाईल नं0 चालक के बगल वाले दरवाजे पर लिखित रूप में होनी चाहिए।
8. यान का उपयोग किसी विनिर्दिष्ट क्षेत्र में ही या विनिर्दिष्ट मार्ग या मार्गों पर ही किया जाएगा। मार्ग की जानकारी वाहन के दरवाजे पर हिन्दी के साथ–साथ उर्दू में भी अवश्य रूप से लिखित होनी चाहिए।
9. सवारी मोटर का प्रचालन किसी विनिर्दिष्ट क्षेत्र में ही या विनिर्दिष्ट मार्ग या मार्गों पर ही किया जाएगा।
10. क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार द्वारा अनुमोदित सवारी मोटर की समय–सारणी की प्रतियाँ यानों पर तथा मार्ग पर या उस क्षेत्र के विनिर्दिष्ट अड्डों और विराम स्थलों पर प्रदर्शित की जाएगी।
11. नगरपालिकाओं की सीमाओं के अन्दर तथा ऐसे अन्य क्षेत्रों और स्थानों के अन्दर जो, जो विहित किए जाएं, यात्री या माल विनिर्दिष्ट स्थानों के सिवाय और कहीं चढ़ाया या उतारा नहीं जाएगा।
12. यानों में आराम और सफाई के विनिर्दिष्ट स्तर बनाए रखे जायेंगे।
13. अनुमोदित यात्री किराया सारणी के अनुसार ही किराए लिये जायेंगे।
14. यात्रियों को विनिर्दिष्ट विशिष्टियों वाली टिकटें दी जायेंगी तथा उनमें वहीं यात्री किराया लिखाया हुआ होगा, जो वास्तव में लिया गया है और दी गई टिकटों का अभिलेख विनिर्दिष्ट रीति से रखा जायेगा।
15. क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार के अनुमोदन के बिना परमिट के शर्त्तों का उल्लंघन नहीं किया जायेगा।
16. महिलाओं एवं बच्चों के प्रति अशिष्ट भाषा, किसी धर्म / समुदाय विशेष को आहत करने वाले गाने एवं विडियो का प्रदर्शन / चालन बसों में नहीं किया जायेगा।
17. व्यवसायिक सामानों का लदान बसों पर नहीं किया जाएगा।
18. कोई भी बस मालिक वैध एजेन्ट लाईसेन्स प्राप्त व्यक्ति के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को एजेन्ट के रूप में बहाल नहीं करेंगे।
19. प्रत्येक बस में एक शिकायत पंजी रहेगी।
20. सभी वाहन स्वामी वाहन के बॉडी के दॉयी एवं बॉयी तरफ बड़े एवं गहरे अक्षरों में पीली सतह पर काले रंग से परमिट संख्या एवं उसकी वैधता की तिथि का स्पष्ट अंकण कराना सुनिश्चित करेंगे।

21. निर्दिष्ट नाम, वाहन संख्या, समय–सारणी आदि में यदि त्रुटि परिलक्षित होती है, तो कार्यालय में संधारित संचिका में दर्ज अभिलेख सही मानी जाएगी।

22. किसी वाहन स्वामी द्वारा गतिसीमा का उल्लंघन कर प्रस्तुत समय–सारणी पर आपत्ति प्राप्त नही होने की स्थिति में प्राधिकार बोर्ड से स्वीकृति के उपरांत निर्गत होने के पश्चात् भी कार्यालय के संज्ञान में आने पर कोई आपत्ति प्राप्त होने पर आवेदक को विहित शुल्क के साथ संशोधित समय–सारणी प्रस्तुत करना होगा। अन्यथा परमिट/आवेदन रद्द कर दिया जायेगा।

प्रशाखा पदाधिकारी, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर।	अपर समाहर्त्ता–सह–सदस्य, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर।	संयुक्त आयुक्त–सह–सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर।	आयुक्त–सह–अध्यक्ष, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर।

12-08-25

ज्ञापांक :–सा0–01–01/2025....224..../परि0, मुंगेर, दिनांक–....23.08.........../2025

प्रतिलिपि :–सभी जिला परिवहन पदाधिकारी, मुंगेर प्रमंडल,मुंगेर को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :–श्री नीरज कुमार, आई0टी0 सहायक, आयुक्त कार्यालय, मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर को प्रमंडलीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

23/8/2025

संयुक्त आयुक्त–सह–सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर।

MEETING HELD ON 12-08-2025